

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report

2022-23





राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

वार्षिक प्रतिवेदन Annual Report 2022-23



कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India
प्लॉट नं. 85, सेक्टर-18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Sector-18, Institutional Area, Gurugram – 122015 (Haryana)
दूरभाष/Ph.: 0124-2342992, Fax : 0124-2342991
वेबसाइट/Website : www.nhb.gov.in

विषय—सूची

प्रस्तावना

1. परिचय

- 1.1 दृष्टिकोण
- 1.2 मिशन
- 1.3 उद्देश्य

2. संगठन

- 2.1 निदेशक मंडल
- 2.2 प्रबंध समिति

3. संसाधन

- 3.1 हमारे लोग
- 3.2 हमारा नेटवर्क
- 3.3 हमारी अवसंरचना

4. वित्त—पोषण

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

- 5.1 उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास
 - 5.1.1 परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास
 - 5.1.2 परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास
 - 5.1.3 एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएँ
 - 5.1.4 उपलब्धियाँ
- 5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सहायिकी योजना
 - 5.2.1 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-1 – एकल तापमान जोन के साथ मूल प्रकार
 - 5.2.2 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – बहु तापमान जोनों और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ
 - 5.2.3 कोल्ड स्टोरेज इकाई टाइप-2 – नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित
 - 5.2.4 प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण
 - 5.2.5 उपलब्धियाँ

- 5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण
 - 5.3.1 उद्देश्य
 - 5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका
 - 5.3.3 उपलब्धियाँ
 - 5.4 बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा
 - 5.5. बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण
- मुख्य विशेषताएँ : 2022–23**
1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन
 - क) वाणिज्यिक बागवानी – खुले क्षेत्र की खेती
 - ख) वाणिज्यिक बागवानी – फूलों और सजियों की संरक्षित खेती
 - ग) फसल–कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता
 - घ) अनुपूरक गतिविधियाँ
 2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन
 3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण
 - क) क्षमता निर्माण कार्यक्रम
 - ख) गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री
 4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन
 5. हिंदी पछवाड़ा और हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहलः
 - i) बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम

अनुलग्नक

- i. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य
- ii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची – 31–03–2023 के अनुसार
- iii. स्टॉफ स्थिति – 31–03–2023 के अनुसार
- iv. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित
- v. वर्ष 2022–23 के बोर्ड के वार्षिक लेखे

प्रस्तावना

यह गर्व की बात है कि 2022–23 के दौरान देश में बागवानी क्षेत्र ने 350.87 मी.ट. (प्रथम अग्रिम अनुमान) का उत्पादन दर्ज किया है, जो भारतीय बागवानी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। भारत ने विश्वस्तर पर फलों और सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह जल्द खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के उत्पादन के कार्य को पूरा करने और राष्ट्र की खाद्य तथा पोषण सुरक्षा में योगदान करने के लिए भारतीय किसानों की इच्छा एवं उद्यमिता को दर्शाता है।

एनएचबी ने अपनी व्यापक आधारित उद्यमी संचालित अभिनव योजनाओं के माध्यम से किसानों और उद्यमियों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादन, फसल कटाई उपरांत प्रबंधन तथा मूल्य वर्धन के लिए सहायता प्रदान करके इस मील के पत्थर को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1984 में अपनी स्थापना के बाद से, एनएचबी ने 1993 के दौरान सॉफ्ट लोन योजनाओं की शुरुआत करके और वर्ष 2000 में क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंड सब्सिडी योजनाओं की शुरुआत करके उच्च तकनीक वाणिज्यिक बागवानी एवं कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के विकास की अपनी प्रारंभिक यात्रा के साथ वाणिज्यिक बागवानी क्षेत्र में काफी योगदान दिया है। वर्ष 2014–15 से एनएचबी को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के अंतर्गत लाया गया है ताकि देश में वाणिज्यिक बागवानी और फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना के नियोजित विकास में तेजी लाई जा सके।

वर्ष के दौरान एनएचबी की वित्तीय सहायता से बागवानी विकास की कुछ मुख्य विशेषताओं में 570.72 हेक्टेयर क्षेत्र में 329 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं की स्थापना, 12 फसल कटाई उपरांत प्रबंधन और हाई-टेक वाणिज्यिक इकाइयां तथा 4.14 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता के साथ 63 कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना शामिल है।

चुनौतियों का सामना करने और भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) शुरू किया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी कलस्टरों के समग्र उन्नति और विकास को सक्षम करना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, माननीय वित्त मंत्री द्वारा फरवरी 2023 में अपने बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार, किसानों को रोग मुक्त गुणवत्ता वाली बागवानी रोपण सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एक स्वच्छ पौध कार्यक्रम (सीपीपी) लागू किया जाना है। एनएचबी को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनएचबी ने संबंधित हितधारकों के परामर्श के बाद इस कार्यक्रम को डिजाइन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि बागवानी के क्षेत्र में बोर्ड की पहल और उपलब्धियां माननीय केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर और एनएचबी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के दूरदर्शी मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थीं। मैं श्री मनोज आहूजा, सचिव, डीए एंड एफडब्ल्यू और प्रबंध समिति के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का उनके नियमित मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए विशेष रूप से आभारी हूं। मैं बोर्ड के उद्देश्यों को प्राप्त करने में एनएचबी के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रदान किए गए उत्कृष्ट सहयोग की भी सराहना करता हूं।



(प्रिय रंजन)
प्रबंध निदेशक

1. परिचय

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) की स्थापना अप्रैल 1984 में भारत सरकार द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था तथा इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में, एनएचबी के देश भर में 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बोर्ड के व्यापक प्रयोजन और उद्देश्य एकीकृत उच्च-वाणिज्यिक बागवानी के लिए उत्पादन कलस्टर / हब विकसित करना, कटाई उपरांत और पुरानी श्रृंखला के बुनियादी ढांचे का विकास करना, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना और हाई-टेक वाणिज्यिक बागवानी आदि के लिए नई प्रौद्योगिकियों/उपकरणों/तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

1.1 दृष्टिकोण

- इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि वाणिज्यिक बागवानी न केवल भोजन तथा पोषण सुरक्षा मुहैया करवाती है बल्कि बेहतर आर्थिक लाभ तथा किसानों के लिए जोखिम के अल्पीकरण हेतु फसल विविधता के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है, वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के माध्यम से निजी निवेश हेतु समन्वित प्रयासों द्वारा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता की परिकल्पना की गई है।
- देश में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार; कटाई उपरांत प्रबंधन से संबंधित अवसंरचना का सृजन, प्रौद्योगिकी विकास तथा अंतरण के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के प्रयास, उत्पाद संवर्धन, विपणन तथा निर्यात शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण के साथ, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा पैमाने में वृद्धि का लाभ उठाने हेतु उत्पादक किसानों को एकत्र करके संभावित समूहों में वाणिज्यिक बागवानी के विकास की प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास कर रहा है।

1.2 मिशन

- उत्पादक केंद्र के विकास और गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी को बढ़ावा देना।
- कटाई उपरांत प्रबंधन तथा शीत श्रृंखला अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- गुणवत्तायुक्त उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं हस्तांतरण को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों, किसानों, विस्तार कामगारों, अनुसंधान संगठनों, निजी हितधारकों और ऋण संस्थानों के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से उत्पाद संवर्धन, बाज़ार विकास और निर्यात संवर्धन।

1.3 उद्देश्य

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य उद्देश्य बागवानी उद्योग के समेकित विकास में सुधार करना है और फलों तथा सज्जियों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बनाए रखने के लिए समन्वयन में सहायता प्रदान करना है। बोर्ड के विस्तृत उद्देश्य अनुलग्नक-। में दिए गए हैं।

2. संगठन

2.1 निदेशक मंडल

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन एक शीर्ष निकाय “निदेशक मंडल” द्वारा किया जाता है जिसके प्रमुख इसके अध्यक्ष के रूप में माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं तथा माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं। निदेशक मंडल का संघटन इस प्रकार हैं:

क्र. स.	सदस्य का पदनाम	पद
1.	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री	अध्यक्ष (पदेन)
2.	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष (पदेन)
3.	केन्द्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्	सदस्य (पदेन)
5.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
7.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	सलाहकार (कृषि), नीति आयोग	सदस्य (पदेन)
10.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
11.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) का एक प्रतिनिधि अथवा किसी अन्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जिसे विशेषतः अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आमंत्रित किया जा सकता है	सदस्य (पदेन)
12.	बागवानी उद्योग के 11 प्रतिनिधि जो सहकारी समितियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, प्रख्यात बागवानी—विशेषज्ञ तथा बागवानी उत्पाद के अग्रणी निर्यातक होंगे। (केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	गैर-सरकारी सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल के सदस्यों की सूची, 31–03–2023 के अनुसार, अनुलग्नक-II में दी गई है।

2.2 प्रबंध समिति

केंद्रीय सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की प्रबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में इसके प्रमुख हैं। इस समिति को बोर्ड के मामलों एवं कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है। प्रबंध समिति का संघटन इस प्रकार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	पद
1.	केंद्रीय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एमआईडीएच), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	बागवानी आयुक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	सदस्य (पदेन)
7.	महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	सदस्य (पदेन)
8.	किसानों का एक प्रतिनिधि (केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा)	सदस्य
9.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	सदस्य सचिव (पदेन)

3. संसाधन

3.1 हमारे लोग

प्रबंध निदेशक, इस बोर्ड के प्रधान कार्यपालक हैं जिनके सहायतार्थ तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रभाग हैं। स्वीकृत किए गए और भरे गए पदों के ब्यारे अनुलग्नक—III में दिए गए हैं।

3.2 हमारा नेटवर्क

इस बोर्ड का मुख्य कार्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में बोर्ड के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची अनुलग्नक—IV में दी गई है।

3.3 हमारी अवसंरचना

1. 5.4 एकड़ में फैला हुआ एक बहुत ही सुव्यवस्थित हरा—भरा परिसर।
2. प्रधान कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत कार्य वातावरण।
3. बागवानी प्रकाशनों की व्यापक श्रृंखला के साथ एक सुसज्जित पुस्तकालय।
4. प्रधान कार्यालय में समिति हॉल तथा कैटीन सुविधाएँ।

4. वित्त—पोषण

बोर्ड के कार्यकलापों का वित्त—पोषण पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2022–23 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधियों तथा किए गए व्यय के ब्योरे निम्नलिखित हैं:—

(राशि लाख रु. में)

क्र. स.	योजना का नाम	प्राप्त अनुदान	अव्ययित शेष (01–04–2022 के अनुसार)	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय
1.	एन.एच.बी.	21830.00#	4926.31*	26756.31	20931.84
2.	एन.एच.एम. (टीएसजी)	260.00	58.10	318.10	265.01
3.	एन.बी.एम. (टीएसजी)	13.89	12.87	26.76	13.81

*वर्ष 2022–23 के दौरान राशि रु. 301.76 लाख डीए एंड एफडब्लू को वापिस किया गया था (2021–22 से पहले अव्ययित शेष के कारण, कॉल बैंक सब्सिडी और अर्जित व्याज)।

02–04–2023 को एन.एच.बी. के बैंक खाते में प्राप्त राशि रु. 5000.00 लाख।

5. योजनाएँ / कार्यक्रम

अपने प्रारंभ काल से ही राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने बागवानी फसलों में पद्धतियों तथा प्रसंस्करण/मूल्य संवर्धन के आधुनिक पैकेज के बड़े पैमाने पर अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएँ चलाई हैं। योजनाओं का वर्तमान सार—संग्रह उच्च गुणवत्ता वाले वाणिज्यिक उत्पादन को अर्जित करने, फसल—कटाई उपरांत अवसंरचना तथा शीत श्रृंखला सुविधाएँ सृजित करने और उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए मध्यवर्तन का एक सैट है। योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ और वर्ष 2022–23 के दौरान अर्जित की गई उपलब्धियाँ नीचे दी गई हैं:—

5.1 उत्पादन तथा फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास

इस घटक के अंतर्गत, खुला क्षेत्र में एवं संरक्षित परिस्थितियों के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन इकाईयों की स्थापना के लिए परियोजनाएं, फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन तथा प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र. सं.	विवरण	वर्णन	सहायता का तरीका
5.1.1	परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में वाणिज्यिक बागवानी विकास	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड परियोजना मोड पर खुला क्षेत्र परिस्थितियों में 2 हैक्टेयर (5 एकड़) से अधिक क्षेत्र कवर करने वाली परियोजनाओं हेतु एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाओं पर विचार करता है जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण, उम्दा खेती, जी.ए.पी. आदि शामिल हैं। मशरूम और ऊतक संवर्धन पर एकीकृत उत्पादन इकाई भी इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं। उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए फार्म मशीनरी और पी.एच.एम. अवसंरचना, सिंचाई एवं सूक्ष्म सिंचाई आदि जैसे घटक भी योजना के अधीन मौजूदा/नए बगीचों/परियोजनाओं में सहायता के लिए पात्र हैं।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 30.00 लाख प्रति परियोजना और उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 37.50 लाख प्रति परियोजना है।
5.1.2	परियोजना मोड पर संरक्षित कवर में वाणिज्यिक बागवानी विकास	यह बोर्ड 2500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए परियोजना मोड पर संरक्षित कवर के अधीन वाणिज्यिक बागवानी विकास परियोजनाएं शुरू करेगा जिसमें रोपण सामग्री, वृक्षारोपण, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि शामिल होंगे। ग्रीन हाऊसों, शेड नैट हाऊसों के निर्माण, प्लास्टिक मल्विंग, और प्लास्टिक सुरांग, पक्षी/पत्थर को रोकने वाले जालों आदि जैसी गतिविधियाँ सहायता के लिए पात्र हैं। तथापि, सहायिकी प्राप्त करने के लिए, सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी निर्धारित मानकों के अनुसार होनी चाहिए।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी स्वीकार्य लागत मानकों के अनुसार कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 56.00 लाख प्रति परियोजना है। (बोर्ड को उत्तर—पूर्वी राज्यों में 1000 वर्ग मी. और अधिक क्षेत्र में संरक्षित खेती के अधीन परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।)
5.1.3	एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाएं	i) पैक हाऊस, राइपनिंग चैम्बर, प्रशीतन वैन, खुदरा आउटलेटों, प्री—कूलिंग इकाई, प्राथमिक प्रसंस्करण आदि से संबंधित एकीकृत फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं को इस घटक के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। रा.बा.बो. घटक मोड में पी.एच.एम. घटकों की अकेले चल सकने योग्य परियोजनाएं भी स्वीकार करता है।	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 50.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता हेतु कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम ₹0 72.50 लाख प्रति परियोजना है।

		<p>ii) केवल फलों, सब्जियों, फूलों, काजू और सुगन्धित पौधों की प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां</p>	<p>क्रेडिट लिंकड बैंक—एन्डिड सहायिकी सामान्य क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत के 35 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 8.75 लाख प्रति परियोजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़े और आगे की कड़ी की सुनिश्चितता सहित कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु0 12.50 लाख प्रति परियोजना है।</p>
--	--	--	--

5.1.4 उपलब्धियाँ

इस योजना के अंतर्गत, बोर्ड ने रिपोर्टर्डीन वित्तीय वर्ष के दौरान 329 परियोजनाएं मंजूर की थीं जिनमें रु0 8148.624 लाख की सहायिकी दी गई। परियोजनाओं में हाई-टेक बागवानी फसलें, ऊतक संवर्धन इकाईयां, पुष्पोत्पादन इकाईयां, मशरूम खेती, पैक हाउस और ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना, राइपनिंग चैम्बर, रीफर वैन, प्री-कूलिंग इकाईयां, कोल्ड रूम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां आदि शामिल हैं।

खुले क्षेत्र में खेती



छत्तीसगढ़ में अमरुद की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



छत्तीसगढ़ में केला की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

खुले क्षेत्र में खेती



महाराष्ट्र में अँगूर की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



छत्तीसगढ़ में मशरूम की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

संरक्षित खेती



तमिलनाडु में शिमला मिर्च की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



मध्य प्रदेश में खीरा की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

संरक्षित खेती



महाराष्ट्र में गुलदाऊदी की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



तमिलनाडु में गुलाबों की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

संरक्षित खेती



तमिलनाडु में ऑर्किड की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना



कर्नाटक में गुलाब की खेती की रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त परियोजना

5.2 बागवानी उत्पादों हेतु शीत संग्रहगारों तथा संग्रहगारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूँजी निवेश सहायिकी योजना

नियंत्रित वातावरण (सी.ए.) सहित शीत संग्रहगारों और उनके आधुनिकीकरण से संबंधित क्रेडिट लिंक्ड परियोजनाएं इस घटक के अधीन सहायता के लिए पात्र हैं।

घटकों का विवरण और सहायता का तरीका

क्र. सं.	विवरण	मदें	सहायता का तरीका
5.2.1	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 1— मूल मेजेनाइन संरचना बड़े चैम्बर (> 250 मी.ट.) सहित एकल तापमान जोन के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"> • @रु. 8000 / मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 7600 / मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 7200 / मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 6800 / मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए 	क्रेडिट लिंक्ड बैंक—एन्डिड सहायिकी 5000 मी.ट. से अधिक की क्षमता के लिए परियोजना की लागत के 35 प्रतिशत (उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों, पहाड़ी राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) की दर से। क्षमता की गणना के लिए 3.4 घन मीटर (घ.मी.) (120 घन फीट {घ.फी.} चैम्बर मात्रा 1 मी.ट. क्षमता के समकक्ष मानी जाएगी। (बोर्ड को 1000 मीट्रिक टन अथवा अधिक क्षमता के लिए उत्तर—पूर्वी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज परियोजनाएँ लेने की अनुमति दी गई है।) हालांकि, सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सभी सामग्री/प्रौद्योगिकी को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
5.2.2	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2— पीईबी टाइप बहु तापमान और उत्पाद उपयोग के लिए, < 250 मी.ट. के 6 चैम्बरों से अधिक और मूल सामग्री प्रहस्तन उपस्कर के साथ	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर निम्नलिखित दरों के अनुसार विचार करता है: <ul style="list-style-type: none"> • @रु. 10000 / मी.ट. 5000 मी.ट. तक की क्षमता के लिए • @रु. 9500 / मी.ट. 5001 से 6500 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 9000 / मी.ट. 6501 से 8000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए • @रु. 8500 / मी.ट. 8001 से 10000 मी.ट. के बीच की क्षमता के लिए 	
5.2.3	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाइप 2— नियंत्रित वातावरण के लिए एडऑन प्रौद्योगिकी सहित	रा.बा.बो. 5000 मी.ट. से अधिक 10000 मी.ट. तक की क्षमता वाली परियोजनाओं पर ऊपर दी गई टाइप 2 दरों के अनुसार विचार करता है। अतिरिक्त रु. 10,000 / मी.ट. नियंत्रित वातावरण प्रौद्योगिकी के एडऑन घटकों के लिए घटक वार लागत के अनुसार।	

5.2.4	प्रौद्योगिकी समावेशन और कोल्ड चेन का आधुनिकीकरण	<ul style="list-style-type: none"> • @रु. 5000 / मी.ट. क्षमता 5001 से 10000 मी.ट. के बीच के लिए • आधुनिकीकरण के घटकों में शामिल हैं— पीएलसी घटक, पैकिंग लाइन, डॉक लेवलर, एडवांस ग्रेडर्स, वैकल्पिक प्रौद्योगिकियाँ, स्टेकिंग प्रणाली, इन्सयूलेशन और रेफरिज़ेरेशन का आधुनिकीकरण आदि। 	
-------	---	---	--

5.2.5 उपलब्धियाँ

इस योजना के अधीन, बोर्ड ने रिपोर्टर्धीन वित्तीय वर्ष के दौरान कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरेजों की 63 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 413741.76 मी.ट. की क्षमता के सृजन के लिए रु. 10201.655 लाख की सब्सिडी दी गई है।

कोल्ड स्टोरेज



आंध्र प्रदेश में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज परियोजना



आंध्र प्रदेश में रा.बा.बो. से सहायता प्राप्त कोल्ड स्टोरेज परियोजना

5.3 बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास तथा हस्तांतरण

5.3.1 उद्देश्य

वाणिज्यिकीकरण / अंगीकरण के लिए चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/ औजारों/ तकनीकों को लोकप्रिय बनाने हेतु परियोजनाएँ निम्नलिखित उप-घटकों के माध्यम से चलाई जाएंगी:

5.3.2 घटकों और सहायता का तरीका

क्र. सं.	घटक	सहायता का तरीका
i	ब्लॉक/ मदर प्लांट तथा रूट स्टॉक नर्सरी की स्थापना (क्षेत्र 4 है0 से अधिक)	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और वायरस इंडेक्सिंग, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला आदि सहित प्रभावी नर्सरी क्षेत्र के लिए रु. 100.00 लाख/ है0 की दर से केवल सरकारी अभिकरण/ सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से।
ii	बागवानी फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए मूल्यांकन और व्यापक बहुलीकरण हेतु अन्य देशों से रोपण सामग्री के आयात सहित प्रौद्योगिकियों का अभिग्रहण।	परियोजना आधारित – 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से रु. 50.00 लाख/ परियोजना की दर से।
iii	प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए बागवानी हेतु नई मशीनों तथा औजारों का आयात/ खरीद।	रु. 50.00 लाख/ मशीन। कुल लागत का 100 प्रतिशत और केवल सरकारी अभिकरण/ सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से। रा.बा.बो. द्वारा संवर्धित उत्पादक संघों और सहकारी सोसाइटियों तथा किसान उत्पादक संगठन के प्रस्तावों पर भी निदेशक मंडल के निदेशानुसार गुण-दोष पर विचार किया जा सकता है।
iv	प्रौद्योगिकी का विकास एवं हस्तांतरण:- (i) उच्च गुणवत्तायुक्त वाणिज्यिक उत्पादन के संवर्धन या उत्पादकता में वृद्धि के लिए नए फार्म आगत के प्रारम्भ और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों इत्यादि के लिए प्रायोगिक परियोजना। (ii) पीएचएम, कोल्ड चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित नए प्रोटोकॉल का विकास और परिचय तथा पीएचएम, स्टोरेज कोल्ड चेन सिस्टम सहित और हैंडलिंग के लिए नए औजारों/ उपस्करों/ मशीनरियों का परिचय। (iii) उत्पादन, पीएचएम, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग तथा परिवहन से संबंधित विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए आर एंड डी परियोजनाएं।	कुल लागत का 100 प्रतिशत रु. 25.00 लाख/ परियोजना तक और केवल सरकारी अभिकरण/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के माध्यम से।
v	लम्बी दूरी के परिवहन और रेल के माध्यम से बागवानी उत्पादों के थोक आवागमन को सुगम बनाने	परियोजना आधारित रु. 2000.00 लाख।

	के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान घटक।	
vi	उत्पाद संवर्धन और बाज़ार विकास सेवाएँ – हार्टि-फेअर	रु. 25.00 लाख – केन्द्रीय नोडल अभिकरण द्वारा लागत का 100 प्रतिशत।
vii	किसानों की एक्सपोजर यात्रा (राज्य के बाहर)	परियोजना आधारित – लागत के वास्तविक 100 प्रतिशत के अनुसार।
viii	सरकारी अधिकारियों के लिए विदेश दौरा	रु. 6.00 लाख प्रति प्रतिभागीदार— हवाई/रेल यात्रा तथा पाठ्यक्रम शुल्क का 100 प्रतिशत।
ix	बागवानी के विकास के लिए संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि का आयोजन/ भागीदारी।	(i) वित्तीय सहायता अंतर्राष्ट्रीय आयोजन (3–5 दिन) के लिए रु. 10.00 लाख, राष्ट्रीय आयोजन के लिए रु. 5.00 लाख, राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 3.00 लाख और जिला–स्तरीय आयोजन के लिए रु. 0.50 लाख तक सीमित होगी। (ii) अल्पावधि (1–2) संगोष्ठियों के मामले में, वित्तीय सहायता निम्नानुसार सीमित होगी: <ul style="list-style-type: none">• रु. 1.00 लाख प्रति राज्य–स्तरीय आयोजन के लिए;• रु. 2.00 लाख प्रति राष्ट्रीय–स्तरीय आयोजन के लिए, और• रु. 3.00 लाख प्रति अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए (भारत के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन/भागीदारी)।
x	फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन और रेटिंग	रु. 1.00 लाख/नर्सरी – केन्द्रीय नोडल अभिकरण (रा.बा.बो.) द्वारा।

5.3.3 उपलब्धियाँ

इस योजना के तहत, रा.बा.बो. ने नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत, प्रगतिशील किसानों के दौरों, हार्टि संगम, संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शनियों के आयोजन/भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों आदि के लिए 12 परियोजनाओं/कार्यक्रमों को सहायता प्रदान की है और रु. 73.34 लाख की वित्तीय सहायता राशि जारी की है।



रा.बा.बो. गुवाहाटी ने 3 से 5 फरवरी, 2023 तक गुवाहाटी में आयोजित प्रथम एक्सपो वन आर्गेनिक नाथ इस्ट शो में भाग लिया



रा.बा.बो. गुवाहाटी ने 17 से 19 दिसंबर, 2022 तक गुवाहाटी में आयोजित 7वें असम इंटरनेशनल एग्री हार्टि शो में भाग लिया

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन तथा रेटिंग



जिला अहमद नगर (महाराष्ट्र) में फल नर्सरी



जिला कच्छ (गुजरात) में फल नर्सरी

फल और सब्जी नर्सरियों का प्रमाणन तथा रेटिंग



जिला मेहसाणा (गुजरात) में सब्जी नर्सरी



जिला श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में फल पौध नर्सरी

5.4 बागवानी फसलों के लिए बाज़ार सूचना सेवा

इस योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, प्रौद्योगिकी पैकेज का विकास, डेटा फीडिंग, प्रचार के माध्यम से सूचना प्रसार, मुद्रित साहित्य, स्थानीय विज्ञापनों आदि का कार्य होता है। इस योजना में एमआईडीएच के टीएसजी घटक के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार अनुमोदित दरों पर आउटसोर्स स्टाफ जैसे वरिष्ठ प्रोग्रामर, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटरों और बागवानी सहायकों को लगाने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत मिशन प्रबंधन और प्रशासनिक व्यय सहित एन.एच.बी. केन्द्रों हेतु राशि ₹ 905.55 लाख का व्यय हुआ है।

5.5 बागवानी संवर्धन सेवाएँ / विशेषज्ञ सेवाएँ और रा.बा.बो. की क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण

इस घटक के अधीन, विशेष तरह के अध्ययन और सर्वेक्षण किए जाएंगे और अध्ययन/सर्वेक्षण प्रतिवेदन लक्षित लाभार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। इसके अलावा, तकनीकी प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी अथवा ध्येय स्थापित किया जाएगा और सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।

रा.बा.बो. द्वारा यह कार्य अपनी मैनपावर और आउटसोर्स विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ किया जाता है और इस योजना के अधीन, नोडल संगठनों अर्थात् स्वयं रा.बा.बो., राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र और इसके अधीन संगठन, केन्द्रीय सरकार के संगठनों/अभिकरणों और अन्य संगठनों जैसे भारतीय गुणवत्ता परिषद्/एन.एच.आर.डी.एफ., आदि के माध्यम से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

बागवानी संवर्धन सेवा योजना के तहत ₹ 260.63 लाख और मिशन प्रबंधन तथा प्रशासनिक व्यय के तहत ₹ 1197.13 लाख की राशि मुख्यालय हेतु व्यय की गई है।

मुख्य विशेषताएँ : 2022–23

1. वाणिज्यिक बागवानी का संवर्धन

- क) **वाणिज्यिक बागवानी—खुले क्षेत्र की खेती :** विभिन्न फलों, मसालों, सुगंधित पौधों की परियोजना मोड में खुले क्षेत्र परिस्थितियों वाली 102 वाणिज्यिक बागवानी परियोजनाओं के लिए रु. 788.855 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 1054.17 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ख) **वाणिज्यिक बागवानी—फूलों और सब्जियों की संरक्षित खेती :** फूलों और सब्जियों की संरक्षित परिस्थितियों वाली 201 परियोजनाओं के लिए रु. 6762.323 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है जिसमें 356.11 एकड़ क्षेत्र शामिल है।
- ग) **फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन हेतु सहायता :**
- (i) ग्रेडिंग पैकिंग इकाईयाँ, पैक हाऊस, कोल्ड रूम आदि के सृजन हेतु 12 परियोजनाएँ जिसमें रु. 210.741 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।
- (ii) प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई के सृजन हेतु 01 परियोजना जिसमें रु. 8.75 लाख की राशि उपलब्ध करवाई गई है।
- घ) **अनुपूरक गतिविधियाँ :** मशरूम इकाईयों की 13 परियोजनाएँ जिसमें रु. 377.955 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई गई है।

2. कोल्ड स्टोरेज क्षमता का सृजन

- क) एन.एच.बी. ने 413741.76 मी.ट. क्षमता के सृजन के लिए 63 कोल्ड स्टोरेजों/सीए स्टोरों को रु. 102.02 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध करवाई है।

3. बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तांतरण

- क) **क्षमता निर्माण कार्यक्रम :** विभिन्न गतिविधियों जैसे संगोष्ठियों/गोष्ठियों/प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रौद्योगिकी जागरूकता, मदर प्लांट नर्सरियों के 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए/सहयोग प्रदान किया गया।
- ख) **गुणवत्ता रोपण सामग्री :** फल एवं सब्जी नर्सरी के प्रमाणन तथा मूल्यांकन की प्रणाली 2008–09 से शुरू की गई है। 2022–23 के दौरान, बोर्ड ने 252 नर्सरियों को प्रमाणित किया है।

4. सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन



5. हिंदी पखवाड़ा और हिंदी प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह



रिपोर्ट की अवधि के दौरान रा.बा.बो. द्वारा की गई नई पहलः

1. बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम

बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) का उद्देश्य पहचान किए गए बागवानी कलस्टरों की समग्र उन्नति और विकास को सक्षम करना है ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल किया जा सके। यह कार्यक्रम बागवानी कलस्टरों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और पूर्व-उत्पादन, उत्पादन, फसल कटाई उपरांत, लॉजिस्टिक्स, विपणन और ब्रांडिंग गतिविधियों के एकीकृत तथा बाजार के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।



माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्रमशः 31 मई 2021 और 29 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम से बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम हेतु परिचालन दिशानिर्देश का विमोचन किया था।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते कार्यक्रम को चलाने और इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के रूप में मै. ग्रांट थॉन्टन भारत एलएलपी को नियुक्त किया है। फील्ड दौरों और मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यापक फीडबैक के आधार पर, बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और उन्हें अंतिम रूप दिया गया है। इसके अलावा, कार्यक्रम के पायलट चरण को शुरू में शॉर्टलिस्ट किए गए 12 कलस्टरों के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया है और पायलट चरण से मिली सीख के आधार पर कार्यक्रम को सभी 55 कलस्टरों को कवर करने के लिए बढ़ाया जाएगा।

पायलट चरण के कलस्टरों में सेब के लिए शोपियां (जम्मू एवं कश्मीर) और किन्नौर (हिमाचल प्रदेश), आम के लिए लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कच्छ (गुजरात) और महबूबनगर (तेलंगाना), कलें के लिए अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) और थेनी (तमिलनाडु), अंगूरों के लिए नासिक (महाराष्ट्र), अनानास के लिए सिपाहीजाला (त्रिपुरा), अनार के लिए सोलापुर (महाराष्ट्र) और चित्रदुर्ग (कर्नाटक) तथा हल्दी के लिए पश्चिम जयंतिया हिल्स (मेघालय) शामिल हैं।

दिशानिर्देशों में निर्धारित कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार, कमियों का विस्तृत विश्लेषण करने और कलस्टरों में अभिनव हस्तक्षेपों की गुंजाइश का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक अभियानित कलस्टर के लिए कलस्टर विकास एजेंसी (सीडीए) की नियुक्ति की गई है। सभी सीडीए द्वारा प्रस्तुत कलस्टर कमी मूल्यांकन रिपोर्ट (सीजीएआर) के आधार पर सीडीपी के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के चयन हेतु सभी सीडीए द्वारा प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) मांगे / प्रकाशित किए गए थे और संभावित आईए के साथ एक से एक बैठक आयोजित की गई थी।

कार्यक्रम के प्रचार / जागरूकता के संबंध में, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के समाचारपत्रों के विज्ञापन एनएचबी और सीडीए द्वारा प्रकाशित किए गए थे। साथ ही “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” अभियान के तहत एक-दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, कलस्टरों में “कृषि मेला” और राष्ट्रीय स्तर के हितधारकों की बैठक आयोजित की गई।

आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ‘किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी’ अभियान के चौथे दिन, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल 2022 को एक वर्चुअल जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें भारत भर से किसानों और अन्य हितधारकों सहित 4000+ लोगों ने भाग लिया।



इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कलस्टर विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में किसानों और अन्य हितधारकों के बीच जन जागरूकता पैदा करना और उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

इसके अलावा, कार्यक्रम की व्यापक पहुंच और इसके कार्यान्वयन ढांचे के संबंध में और अधिक समझ उपलब्ध करवाने के लिए जून और जुलाई 2022 के दौरान कलस्टरों में कृषि मेलों का आयोजन किया गया था।



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 9 सितंबर 2022 को परामर्श बैठक 2022 का आयोजन किया। परिसंवाद सत्र में बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम में शामिल हितधारकों द्वारा तकनीकी इनपुट, व्यक्तिगत प्रभावशीलता सुविधा और अनुभव साझा करना शामिल था।



दिनांक 31.03.2023 तक सभी कलस्टरों में कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए प्रकाशित प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) के प्रत्युत्तर में, दिनांक 17.01.2023 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक के दौरान पांच (5) कलस्टरों अर्थात् अनंतपुर (केला) के लिए मै. देसाई एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड, महबूबनगर (आम) के लिए मै. प्रसाद सीडस प्राइवेट लिमिटेड, शॉपियां (सेब) के लिए मै. एफआईएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, नाशिक (अंगूर) के लिए मै. सह्याद्री फार्मस पोर्स्ट हार्वेस्ट केयर लिमिटेड और पश्चिम जयंतिया हिल्स (हल्दी) के लिए मै. मेघालय बेसिन मैनेजमेंट एजेंसी में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतिम रूप दिया गया है। शेष सात (7) कलस्टरों का कार्य प्रगति पर है।

संबद्ध सीडीए और 5 कलस्टरों के चयनित आईएए को 19 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित इंडिया कॉल्ड चेन कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया गया था और श्री मनोज आहूजा, आईएएस, सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए थे।



नाशिक (अंगूर)

पश्चिम जयंतिया हिल्स (हल्दी)

शोपियां (सेब)



अनंतपुर (केला)

महबूबनगर (आम)

इन 5 परियोजनाओं के लिए लगभग 670 करोड़ रुपये के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपये का निजी योगदान और उनके कार्यान्वयन के लिए लगभग 270 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।

चूंकि कार्यान्वयन 5 कलस्टरों में शुरू किया जाएगा, इसलिए बागवानी कलस्टर विकास कार्यक्रम के भीतर निगरानी, प्रलेखन, प्रबंधन और निधि संवितरण प्रक्रियाओं के लिए मै. ग्रांट थॉर्नटन द्वारा सीडीपी-सुरक्षा (कलस्टर विकास कार्यक्रम – एकीकृत संसाधन आबंटन ज्ञान और सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली) पोर्टल विकसित किया जा रहा है। पोर्टल हितधारकों के बीच सुव्यवस्थित सहयोग, उन्नत परिचालन और सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, जीआईएस और जियो-टैगिंग क्षमताओं का एकीकरण बागवानी कलस्टरों की व्यापक समझ प्रदान करेगा, जिससे उन्नति क्षेत्रों की पहचान करने और संसाधन उपयोग का आकलन करने में सहायता मिलेगी।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के उद्देश्य

- i) चिह्नित क्षेत्रों में उच्च—प्रौद्योगिकी वाणिज्यिक बागवानी का विकास और ऐसे क्षेत्रों को बागवानी गतिविधि से गुंजायमान करना जो बाद में बागवानी के विकास के लिए केन्द्रों के रूप में कार्य करेंगे ।
- ii) क्षेत्र विस्तार परियोजनाओं के समग्र भाग के रूप में या परियोजनाओं के समूह के लिए सामान्य सुविधाओं के रूप में आधुनिक कटाई—उपरांत प्रबंधन की अवसंरचना का विकास करना ।
- iii) ताजे बागवानी उत्पाद के लिए एकीकृत, ऊर्जा कार्यक्षम शीत श्रृंखला अवसंरचना का विकास करना ।
- iv) प्रौद्योगिकी और जरूरत निर्धारण करने के पश्चात् वाणिज्यकरण/अंगीकरण हेतु चिह्नित नई प्रौद्योगिकियों/औजारों/तकनीकों का प्रचार—प्रसार करना ।
- v) कलम तथा प्रकंदन बैंकों/मदर प्लांट नर्सरियों की स्थापना का संवर्धन करते हुए और बागवानी नर्सरियों के प्रत्यायन/मूल्यांकन करते हुए तथा रोपण सामग्री के आवश्यकता आधारित आयातों द्वारा गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करना ।
- vi) ताजे बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देना तथा बाजार का विकास करना ।
- vii) नए विकसित/आयातित रोपण सामग्री और अन्य कृषि निवेशों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, पी.एच.एम. प्रोटोकॉल्स, आई.एन.एम. तथा आई.पी.एम. प्रोटोकॉल्स के फील्ड परीक्षणों को बढ़ावा देना तथा उद्गम प्रौद्योगिकी के वाणिज्यिकरण हेतु अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना ।
- viii) लेबर लागत कम करने और बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए बागवानी में फार्म मशीनीकरण को इसके प्रदर्शन और किसानों के खेतों में इसके उपयोग के माध्यम से बढ़ावा देना ।
- ix) पी.एच.एम. प्रोटोकॉलों के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना, ताजे बागवानी उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण भंडारण परिस्थितियां निर्धारित करना, शीत श्रृंखला अवसंरचना के लिए तकनीकी मानकों के तलचिह्न स्तर निर्धारित करना आदि ।
- x) उत्पादकों/किसानों तथा सेवा प्रदाताओं जैसे बागवानों, मालियों, फार्म स्तर पर कुशल कामगारों, कोल्ड स्टोरेजों में परिचालक, ताजे बागवानी उत्पाद के प्रसंस्करण सहित फसल—कटाई उपरांत प्रबंधन करने वाले कार्यबल और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण ।
- xi) बागवानी उत्पाद और उत्पादों के उपभोग को बढ़ावा देना ।
- xii) रेल आदि के माध्यम से बागवानी उत्पाद के थोक आवागमन के लिए लम्बी दूरी परिवहन समाधान को बढ़ावा देना ।
- xiii) बागवानी के व्यवस्थित विकास के लिए अल्पावधि और दीर्घावधि रणनीतियाँ विकसित करने और अवरोधों की पहचान करने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण करना तथा सलाहकारी एवं परामर्श सेवाओं सहित तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाना ।

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की सूची (31.03.2023 के अनुसार)

क्र. सं.	आधिकारिक सदस्य का नाम, पदनाम, दूरभाष नं. और ईमेल आईडी	पदनाम
1	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23383370 / 23782691 / 23384129 ईमेल: am.krishi@nic.in	अध्यक्ष (पदेन)
2	सुश्री शोभा करंदलाजे माननीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23782343 / 23782565 ईमेल: mos.krishi@nic.in	उपाध्यक्ष (पदेन)
3	सचिव कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382651 / 23388444 ईमेल: secy-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)
4	महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382629-476 / 25841976 / 23386711 / 25843190 (आवास) ईमेल: dg.icar@nic.in	सदस्य (पदेन)
5	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381363 / 23382532 ईमेल: asfa-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
6	अपर सचिव (बागवानी) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381503 ईमेल: ascc-agri@nic.in	सदस्य (पदेन)

7	संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23382444 / 23073779 ईमेल: jsmidh-agri@gov.in	सदस्य (पदेन)
8	बागवानी आयुक्त कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23381012 / 23383712 ईमेल: hortcommissioner@gmail.com / hort.comm-agri@agri.gov.in	सदस्य (पदेन)
9	सलाहकार (कृषि) नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-23096630 2598, मो 9868060359 ईमेल: adviser.agri-pc@nic.in neelam.patel@gov.in	सदस्य (पदेन)
10	अध्यक्ष कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, तीसरी मंजिल, एनसीयूआई भवन, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली दूरभाष: 011-26513167 ईमेल: chairman@apeda.gov.in	सदस्य (पदेन)
11	श्री बाला शिव प्रसाद डी 2/224, गुडीसेट्लु गेट थुम्मनपल्ली पोस्ट, तहसील- होसुर, जिला- कृष्णागिरी, तमिलनाडु मोबाइल: 09095076347 ईमेल: balashivaprasath@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
12	श्री जगदीश बैश्वर गांव और पोस्ट- पूर्वी पारसी, रेणुसागर थाना-अनपरा, सोनभद्र (यूपी) मोबाइल: 8840088781, 9838187201 ईमेल: jagdishprashadbaishwar@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य
13	श्री अमित सिंह चौहान ग्राम-बेलग, पोस्ट-झिकनीपुल, तहसील-चौपाल जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश मोबाइल: 09654262690, 07018341590, 0177-2622772 ईमेल: amitchauhan417@gmail.com	गैर-सरकारी सदस्य

14	श्री माणिक गंगाधर पाटील पोस्ट— खेडगांव,, सिंचाई कॉलोनी के पास गंगासागर बंगला, ताल—डिंडोरी जिला— नासिक (महाराष्ट्र) मोबाइल: 09225118679 ईमेल: mgsgrapes@gmail.com	गैर—सरकारी सदस्य
15	प्रबंध निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 85, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा) दूरभाष: 0124-2342992, 2347441, 2342989-90 ईमेल: md@nhb.gov.in	सदस्य सचिव (पदेन)

अनुलग्नक-III

प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी है। श्री प्रिय रंजन 01-04-2022 से 31-03-2023 के दौरान बोर्ड के प्रबंध निदेशक थे। प्रबंध निदेशक को तकनीकी और प्रशासनिक प्रभागों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। बोर्ड में कुल नियमित स्वीकृत पदों की संख्या 155 है।

31-03-2023 को स्वीकृत, भरे हुए और रिक्त पदों के ब्योरे

क्र. सं.	पदनाम	पूर्व संशोधित वेतनमान एवं ग्रेड वेतन		7वें सीपीसी वेतन स्तर एवं वेतन मैट्रिक्स के अनुसार		वर्तमान स्थिति		
		वेतनमान	ग्रेड वेतन	वेतन स्तर	वेतन मैट्रिक्स	स्वीकृत पदों की सं0	भरे गये पद	रिक्त पद

समूह "क"

1	प्रबंध निदेशक	37400-67000	10000	14	144200-218200	1	-	1
2	उप प्रबंध निदेशक	37400-67000	8900	13-A	131100-216600	1	1	-
3	निदेशक (कार्मिक)	15600-39100	7600	12	78800-209200	1	-	1
4	संयुक्त निदेशक	15600-39100	6600	11	67700-208700	5	5	-
5	संयुक्त निदेशक (वित्त एवं लेखा)	15600-39100	6600	11	67700-208700	1	-	1
6	उप निदेशक	15600-39100	5400	10	56100-177500	30	23	7
7	उप निदेशक (सूचना प्रणाली)	15600-39100	5400	10	56100-177500	1	1	-
	कुल					40	30	10

समूह "ख"

1	लेखा अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
2	राजभाषा अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
3	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4600	7	44900-142400	3	3	-
4	तकनीकी अधिकारी (कम्प्यूटर)	9300-34800	4600	7	44900-142400	2	2	-
5	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	1	-
6	वरिष्ठ बागवानी अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	18	2	16
7	प्रशासनिक अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	-	1
8	वरिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
9	बागवानी अधिकारी	9300-34800	4200	6	35400-112400	17	-	17
10	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
	कुल					48	14	34

समूह "ग"

1.	निजी कार्यपालक	5200-20200	2400	4	25500-81100	5	1	4
2.	कम्प्यूटर कार्यपालक	5200-20200	2400	4	25500-81100	7	6	1
3.	अवर श्रेणी लिपिक	5200-20200	1900	2	19900-63200	5	3	2
4.	हिंदी टंकक	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
5.	चालक	5200-20200	1900	2	19900-63200	3	-	3
6.	इलेक्ट्रीशियन	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
7.	संदेशवाहक / एमटीएस	5200-20200	1800	1	18000-56900	40	30	10
8.	बड़र ग्राफ्टर	5200-20200	1800	1	18000-56900	5	4	1
	कुल					67	46	21

ब्यौरे

क्र. सं.	समूह	स्वीकृत पद	भरे गये पद	रिक्त पद
1.	समूह "क"	40	30	10
2.	समूह "ख"	48	14	34
3.	समूह "ग"	67	46	21
	कुल	155	90	65

इसके अतिरिक्त, अस्थाई हैसियत के 17 संदेशवाहक / एमटीएस पे बैंड रु. 5200—20200+ ग्रेड पे रु. 1800/- में नियोजित हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची उनके सम्पूर्ण पते सहित

क्र. सं.	राज्य	केन्द्रों के नाम एवं पता
1	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम परिसर पहली मंजिल, गेट नंबर-3, लैबपेट बंदर रोड विजयवाड़ा – 520010 टेली /फैक्स: 0866-2473351 ई-मेल: ap.nhb@gov.in
2	असम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड छिब्बर हाउस, चतुर्थ तल, दिसपुर पी.ओ., गुवाहाटी– 781005 टेली /फैक्स: 0361-2343719, 2340695 ई-मेल: assam.nhb@gov.in
3	बिहार	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड वर्मा सेंटर, कमरा नं. 501, 502, 5वां तल, बोरिंग कैनल रोड, पटना – 800001 टेली /फैक्स: 0612-2541218, 2541128 ई-मेल: bihar.nhb@gov.in
4	चंडीगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी.ओ.–85, द्वितीय तल, सैकटर–40 सी चंडीगढ़ – 160047 टेली /फैक्स : 0172-2625249, 2625269 ई-मेल: chd.nhb@gov.in
5	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड म.नं. 42, प्रथम तल, जल विहार कॉलोनी, निकट रॉटरी क्लब ऑफ इण्डिया, तेलीबंधा, रायपुर – 492001 (छत्तीसगढ़) टेली /फैक्स: 0771-2423992 ई-मेल: cg.nhb@gov.in
6	दिल्ली	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 19-22 (गैराज), कृषि भवन, नई दिल्ली – 110001 टेली /फैक्स: 011-23097015, 23073019 ई-मेल: delhi.nhb@gov.in
7	गुजरात	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 416, देवानन्दन, सन्यास आश्रम के सामने, इल्लिस ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380006 (गुजरात) टेली /फैक्स: 079-29705413, 26585413 ई-मेल: gj.nhb@gov.in

8	हिमाचल प्रदेश	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एचपीएमसी, द्वितीय तल, निगम विहार शिमला – 171002 टेलीफोन / फैक्स: 0177–2622908 / 2623801 ई–मेल: hp.nhb@gov.in
9	जम्मू व कश्मीर (श्रीनगर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हार्टिकल्चर कॉम्प्लैक्स राजबाग श्रीनगर – 190008 टेली / फैक्स: 0191–2474349 (पीपी) ई–मेल: jk.nhb@gov.in
10	जम्मू व कश्मीर (जम्मू)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड हॉल नं. 307, ए–2, तृतीय तल, साउथ ब्लॉक, बाहु प्लाजा, रेल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू – 180004 टेली / फैक्स: 0191–2474349, 2474112 ई–मेल: jk.nhb@gov.in
11	झारखण्ड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड लक्ष्मी निवास, कृषि भवन, कांके रोड, रांची–834008 टेली / फैक्स: 0651–2230132, 2233832 ई–मेल: jh.nhb@gov.in
12	कर्नाटक	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 14 / 43, दूसरा तल, प्रथम व द्वितीय स्टेज इंडस्ट्रीयल सबर्ब, तुमकूर रोड, यशवंतपुर, बैंगलोर – 560022 टेली / फैक्स: 080–23371935, 23374149 ई–मेल: ktk.nhb@gov.in
13	केरल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. यूआर–10, उप्पलम रोड, स्टेच्यू तिरुवनंतपुरम – 695001 टेली / फैक्स: 0471–2470505, 2470506 ई–मेल: kerala.nhb@gov.in
14	मध्यप्रदेश (भोपाल)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड आर–24, द्वितीय तल, निकट हिंदुस्तान टाइम्स एमपी नगर, जोन – 1, भोपाल – 462011 टेली / फैक्स: 0755–2761741 ई–मेल: mp.nhb@gov.in
15	मध्यप्रदेश (ग्वालियर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि परिसर, मेला मैदान के सामने, रेस कोर्स रोड, ग्वालियर – 474002 (मध्यप्रदेश) टेली / फैक्स: 0751–2930606 ई–मेल: gwlr.nhb@gmail.com

16	महाराष्ट्र (मुम्बई)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कमरा नं० 317, चतुर्थ तल, सैन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, एपीएमसी फ्रूट मार्किट कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-19, तुरभे वाशी नवी मुम्बई – 400703 टेली /फैक्स: 022–27830107 ई–मेल: mh.pune.nhb@gov.in
17	महाराष्ट्र (नागपुर)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड 401, चतुर्थ तल, लोटस प्लाजा, निकट लक्ष्मी भवन, ओल्ड पोर्ट ऑफिस रोड, गोकुलपेठ, नागपुर – 440010 टेली /फैक्स: 0712–2525030, 2523110 ई–मेल: mh.ngp.nhb@gov.in
18	महाराष्ट्र (नाशिक)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एस.सी. पंचार मार्केट यार्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नं. 1, पेठ रोड, पंचवटी, नाशिक– 422003 टेली /फैक्स: 0253–2534558, 2533715 ई–मेल: mh.nsk.nhb@gov.in
19	महाराष्ट्र (पुणे)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एमसीएईआर बिल्डिंग, 132/बी, भामभुरदा भोंसले नगर, पुणे –411007 टेली /फैक्स: 020–25528582 / 83 ई–मेल: mh.pune.nhb@gov.in
20	ओडिशा	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड एन-1/7, आई.आर.सी. गांव, नयापल्ली, सी.आर.पी.एफ गेट के सामने भुवनेश्वर – 751015 टेली /फैक्स: 0674–2558134, 2559620 ई–मेल: odisha.nhb@gov.in
21	राजस्थान	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, मोदक प्रियाय, प्लॉट सं. 16 एवं 17, नियर न्यू आतिश मार्किट शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर – 302020 टेली /फैक्स: 0141–2399405, 2390818 ई–मेल: rj.nhb@gov.in
22	सिक्किम	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड चांग चूप भवन, निकट नायुमा टेलीविजन तिब्बत रोड, गंगटोक – 737101 टेली /फैक्स: 03592–208453, 220975 ई–मेल: sikkim.nhb@gov.in

23	तमिलनाडु	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मोडयूल नं. 37, द्वितीय तल, सिडको रेडिमेड गारमेन्ट कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई – 600032 टेली /फैक्स: 044–22501151 / 22500965 ई–मेल: tn.nhb@gov.in
24	तेलंगाना	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नं. 2, 5–9–195, विलियम निवास चिराग अली लेन, आबिड्स, हैदराबाद – 500001 टेली /फैक्स: 040–23200806, 23201140 ई–मेल: ts.nhb@gov.in
25	उत्तर प्रदेश (लखनऊ)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा –बागवानी निदेशक 2, सपु मार्ग, उद्यान भवन लखनऊ – 226001 टेली /फैक्स: 0522–2623374 / 2202420, 4072096 ई–मेल: up.lko.nhb@gov.in
26	उत्तर प्रदेश (वाराणसी)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वितीय तल, सी.टी.ओ. बिल्डिंग, तार घर (बी.एस.एन.एल.), कैन्ट, नदेसर, वाराणसी – 221002 टेली /फैक्स: 0542–2508756 ई–मेल: up.var.nhb@gov.in
27	उत्तर प्रदेश (बढ़ौत)	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा – क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान दिल्ली – सहारनपुर रोड, बढ़ौत–250611 ई–मेल: up.var.nhb@gov.in
28	उत्तराखण्ड	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नवीन सब्जी मण्डी स्थल, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, निरंजनपुर देहरादून – 248171 टेली /फैक्स: 0135–2761922, 2762767, 2725517 ई–मेल: uk.nhb@gov.in
29	पश्चिम बंगाल	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड मयुख भवन, द्वितीय तल, सॉल्ट लेक, सेक्टर–2, कोलकाता – 700091 टेली /फैक्स: 033–29861049, 23211259 ई–मेल: wb.nhb@gov.in

वर्ष 2022–23 के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वार्षिक लेखे



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए.(सी)के.व्यय/SAR NHB/2022-23/23-24/1105

दिन/Date: १९.१०.२०२३

सेवा मे,

सचिव,

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(Minstry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2022-23 के लेखाओं पर पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2022-23 के लेखाओं पर
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष
प्रस्तुत करने हेतु सलंगन पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा
जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को
भी भेज दी जाएँ।

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

-८५८-

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2022-23 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक, National Horticulture Board, 85, Institutional
Area, Sector 18, Gurugram 122015 को प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

उप-निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम (हरियाणा) के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च 2023 तक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम (हरियाणा) के तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खातों का लेखापरीक्षा किया है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखाकरण पद्धतियों की अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखा व्यवहार पर टिप्पणियां शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन आदि, यदि कोई हो, की सूचना निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम योजना बनाएं और लेखापरीक्षा करें ताकि इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरण सामग्री गलत विवरणों से मुक्त हैं या नहीं। एक लेखापरीक्षा में, जांच करना के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की जांच करना शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना है। हम मानते हैं कि हमारा लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है। भी शामिल

4. हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे;
- ii) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहारित तुलन पत्र और आय तथा व्यय लेखा/प्राप्ति और भुगतान लेखा वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के एकसमान प्रारूप में तैयार किए गए हैं।
- iii) हमारी राय में, बोर्ड द्वारा बही खातों और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को उचित तरीके से व्यवस्थित रखा गया है, जहां तक ऐसी बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
- iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. आय एवं व्यय लेखा

अनुदान/सब्सिडी - ₹21830 लाख

उपर्युक्त में वित्तीय वर्ष 2022-23 में मंजूर किए गए 21830 लाख रुपये के अनुदान शामिल हैं। उपयोग प्रमाणपत्रों के अनुसार, वर्ष के दौरान उपयोग किया गया अनुदान 20931.84 लाख रुपये था। लेखाकरण मानक के अनुसार, आय में ₹20931.84 लाख की राशि ली जानी चाहिए लेकिन ₹21830 लाख की राशि आय एवं व्यय लेखा में ले ली गई थी। इससे आय में 898.16 लाख रुपये की वृद्धि हुई है और चालू देनदारियों में 898.16 लाख रुपये की कमी आई है।

ख. सामान्य

सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 का नियम 211 अचल परिसंपत्ति रजिस्टर को बनाए रखने के लिए प्रारूपों के विभिन्न सेट निर्धारित करता है। इस प्रावधान के तहत, प्रारूप जीएफआर-22 में अचल परिसंपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा। यद्यपि एनएचबी भुवनेश्वर ने अचल संपत्ति रजिस्टर को बनाए रखा, लेकिन इसे उचित प्रारूप में नहीं रखा गया था।

ग. सहायता अनुदान की स्थिति

वर्ष 2022-23 के लिए प्राप्त और उपयोग किए गए अनुदानों की स्थिति निम्नानुसार है:

(रु. लाखों में)

अनुदान का नाम	एनएचबी	एनएचएम	एनबीएम	एनएमएस	कुल
प्रारंभिक जमाशेष	4926.31	58.10	12.87	44.93	5042.21
प्राप्त अवियत निधियां	722.15	2.24	0.28	1.24	725.91
प्राप्त अनुदान	21830.00	260.00	13.89	0.00	22103.89
कुल अनुदान	27478.46	320.34	27.04	46.17	27872.01
प्रोट्भूत व्यय	20931.84	265.01	13.81	0.00	21210.66
भारत सरकार को वापिस की गई निधियां	301.76	0.89	0.48	0.00	303.13
अंत जमाशेष	6244.86	54.44	12.75	46.17	6358.22

v) पिछले अनुच्छेदों में हमारे अवलोकनों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाता तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा बही खातों के अनुरूप हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ पढ़े गए हैं, और उपर्युक्त अन्य महत्वपूर्ण मामले तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य मामले भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष घटिकों देते हैं:

- क. जहां तक यह 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम की स्थिति के तुलन पत्र से संबंधित है; और
- ख. जहां तक यह आय और व्यय लेखा से संबंधित है, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और
उनकी ओर से,

लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय), चंडीगढ़

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 19.10.2023

लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक

1. आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता:

- i. एनएचबी, रांची के रोकड़ शेष का मिलान नहीं किया गया था और 296 रुपये का अंतर था।
- ii. बोर्ड द्वारा आज तक कोई लेखाकरण मैनुअल तैयार नहीं किया गया है।
- iii. प्रबंध समिति एक वित्तीय वर्ष में चार बैठकों के मानदंडों के विपरीत केवल दो बैठकें आयोजित कर सकी।

2. आंतरिक लेखापरीक्षा की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग बोर्ड के मुख्य कार्यालय में स्थापित किया गया है।

3. अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन

भौतिक सत्यापन 2022-23 तक आयोजित किया गया है।

4. वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन

वर्ष 2022-23 के लिए वस्तुसूची और पुस्तकालय पुस्तकों का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, एनएचबी बंगलौर ने वर्ष 2022-23 के लिए वस्तुसूची और पुस्तकालय पुस्तकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं किया है।

5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से जमा करता है।

उप निदेशक

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
तुलन पत्र

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
समग्र / पूँजी निधि तथा देयताएँ			
समग्र / पूँजी निधि	1	2,412,837,386	2,206,894,088
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
अभिचिह्नित / संचयी निधि	3	11,336,088	11,589,439
सुरक्षित ऋण तथा उधारियां	4	-	-
असुरक्षित ऋण तथा उधारियां	5	-	-
आस्थागित साख देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	7	390,638,623	384,062,916
योग		2,814,812,097	2,602,546,443
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	8	33,787,460	32,810,810
निवेश –अभिचिह्नित / संचयी निधि से	9	-	-
निवेश—अन्य	10	-	-
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा पेशगी	11	2,781,024,637	2,569,735,633
विविध खर्च (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया)		-	-
योग		2,814,812,097	2,602,546,443
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24	-	-
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25	-	-

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

आय तथा व्यय लेखा

(राशि रुपयों में)

विवरण	अनुसूची सं.	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
विविध सेवाओं से आय	12	20,495,536	18,995,637
अनुदान / सहायिकी	13	2,183,000,000	1,068,200,000
शुल्क / अभिदान	14	-	-
निवेशों से आय (अभियानित / संचयी निधियों से अंतरित निधियों से निवेश पर आय)	15	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	118,696,211	103,605,636
अन्य आय	18	3,968,876	1,198,373
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) तथा डब्ल्यूआईपी	19	-	-
योग (क)		2,326,160,623	1,191,999,646
व्यय			
स्थापना व्यय	20	89,870,308	93,906,694
अन्य प्रशासनिक खर्च इत्यादि	21	22,343,858	18,659,650
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	1,980,382,759	664,064,534
ब्याज	23	-	-
आवेदन निधि और योजना ब्राउशर हेतु व्यय	12क	32,865,874	30,256,205
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध जोड़ - अनुसूची 8 के अनुसार)	8	5,248,401	4,872,381
योग (ख)		2,130,711,200	811,759,464
व्यय से आय अधिक होने पर शेष (क-ख)			
- आवेदन तथा प्रक्रिया शुल्क की लागत के अलावा निधियां हेतु		207,819,761	391,500,751
- आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क की लागत		(12,370,338)	(11,260,568)
संदिग्ध ऋणों के प्रावधान हेतु अंतरित (पिछला भाग)			
आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर राशि से इतर के लिए समग्र / पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष / (घाटा)		207,819,761	391,500,751
आवेदन एवं प्रक्रिया शुल्क राशि के लिए समग्र / पूंजीगत निधि में जमा किया गया शेष अधिशेष / (घाटा)		(12,370,338)	(11,260,568)
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	24		
लेखों पर आकस्मिक देयताएं तथा टिप्पणियां	25		

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2022-23		2021-22		वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
1. प्रारंभिक शेष			1. व्यय (मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय के बजट से)			
क) हथ में रोकड़	75,829	68,876	क) स्थापना व्यय – मुख्यालय		93,828,451	93,681,389
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय – मुख्यालय		22,539,879	18,510,936
1) चालू खाते में	-	-				
2) जमा खाते में	1,233,800,000	1,174,100,000	2. विभिन्न योजनाओं की निधियों के सम्बन्ध किए गये भुगतान			
3) बचत खाते में	567,968,125	360,553,825				
4) जमा खाते में (प्रिक्रिया शुल्क / आवेदन फार्म एवं योजना ब्राउशर खाते की लागत)		427,900,000	1) उत्पादन एवं फसल कटाई उपर्यंत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास			
		417,900,000				
			– सहायिकी	817,041,548	269,999,500	
			– विधिक एवं व्यावसायिक खर्च		174,000	57,000
2. प्राप्त अनुदान			कुल	817,215,548	817,215,548	
क) भारत सरकार से			2) बागवानी उत्पाद के लिए शीतागारों तथा संग्रहालयों के निर्माण / आधुनिकीकरण / वित्तालय के लिए पूँजी निवेश सहायिकी	1,026,537,500	1,026,537,500	265,311,300
1) रा.बा.बो. की योजनाओं के लिए – रा.बा.बो. के बजट से	968,200,000	968,200,000	3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास एवं हस्तातरण	7,333,644	7,333,644	4,976,292
2) एनएचएम की योजनाओं के लिए – टीएसजी घटक के लिए	17,000,000	26,000,000	4) बागवानी फसलों के लिए बाजार सूचना सेवा	168,700	168,700	702,100
3) एनवीएम की योजनाओं के लिए	1,388,849	-	5) बागवानी संवर्धन सेवाएं / विशेषज्ञ सेवाएं	26,062,877	26,062,877	26,048,212
			6) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय			-
			– क. स्थापना व्यय – केन्द्र	60,254,176	54,236,661	
			ख. प्रशासनिक व्यय – केन्द्र	29,501,989	22,841,037	
ख) राज्य सरकार से	-	-	कुल	89,756,165	89,756,165	
3. निम्नवत निवेशों पर आय			7) राष्ट्रीय बहु. मिशन (समर्थन सेवाएं)	1,381,354	543,089	
क) अभियानित / संचयी निधि	-	-	8) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (टीएसजी)		26,500,938	16,083,569
ख) स्वामित्व निधि (अन्य निवेश)	-	-	9) अंतरराष्ट्रीय हार्ट एक्सपो फ्लॉरियड 2022 हेतु व्यय	5,766,567	16,577,154	

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2022-23		2021-22		भुगतान	2022-23		2021-22	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
4. प्राप्त खाज									
क) बैंक जमा और बचत बैंक खातों के लिए									
— रा.बा.बी. निधियां	86,944,853	77,021,375	3. किए गये निवेश एवं जमा						
— आवेदन निधियां	24,738,462	22,638,183	क) अभियान/बंदोवस्ती निधियों से						
— एनएचएम निधियां	123,691	86,298	ख) स्वामित्व निधियों से (अन्य निवेश)						
— एनबीएम निधियां	28,603	50,113							
— राष्ट्रीय केंसर मिशन निधियां	124,941	133,561	4. अचल परिसंपत्तियों एवं प्रगतिशील कार्य पर पूँजीगत व्यय						
ख) ऋण, अधिग्रहण आदि (दंडात्मक खाज)	1,800,221	-	क) अचल परिसंपत्तियों की खरीद / संवर्द्धन						
			1. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय—मुख्यालय के बजाए से					3,344,558	1,876,000
			2. मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय—केन्द्र के बजाए से					629,952	219,330
5. अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)									
आईआई से किशाया	761,556	1,088,823	ख) प्रगतिशील कार्य पर पूँजीगत व्यय					-	-
आवेदन प्रत्र और योजना ब्राउशर की लागत	20,495,534	18,995,637							
विविध प्राप्तियां	304,369	993,214	5. अधिशेष धन/ऋण की वापसी						
जमा की गई जमानत राशि – राशाओं	225,000	700,000	क) भारत सरकार को					-	-
प्रतिभूति जमा	6,345	50,054	— कृषि एवं किसान कल्याण विभाग						
बैंक प्रभार— केसर पार्क	-	118	— आंतरिक प्रोद्देशवान से					30,175,793	18,591,504
			— सहायता—अनुदान से					137,555	436,028
6. उधार तो गई राशियां	-	-	— एमओएफपीआई को					-	-
7. अन्य प्राप्तियां (व्योरे दे)			ख) राज्य सरकार को					-	-
क) अधिग्रहण की वस्तुलाई (झाज सहित)	167,921	41,197	ग) निधियों के अन्य प्रदाताओं को					-	-

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2022-23		2021-22		वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष पिछला वर्ष
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	भुगतान		
छ) रा.बा.बो. योजनाओं के तहत क्रठण की वसूली	1,199,779	-	6. बैंक द्वारा छोत पर काटा गया टीडीएस	-	84,142	6,621,474
ग) रा.बा.बो. योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत लाभाधिकां जिन्हें पिछले वर्ष में निधियां जारी की गई थीं से वापस प्राप्त अवधित निधियां			7. अन्य भुगतान (निवेदित)			
— रा.बा.बो. योजनाओं के लिए	48,639,795	14,570,676	वापिस की गई जमानत राशि— केमर पार्क	-	-	-
— एनएचएम के लिए	118,879	-	पूर्वदत्त व्यय	-	193,074	-
घ) अन्य से वसूली	-	78,876	एनसीसीटी, लीडब्लूडी एवं नॉवोड बोर्ड की ओर से व्यय	-	846,715	2,066,746
(ड) टीडीएस /जीएसटी की प्राप्ति	522,484	-	सुरक्षा जमा राशि	-	-	-
8. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी— रा.बा.ब.	5,109,680	13,964,241	अन्य को भुगतान	-	42,104	-
9. बैंक द्वारा काटे गए टीडीएस की वापिसी (आवेदन शुल्क)	4,635,404	2,661,652	8. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर की लागत से भुगतान	-	-	1,089,745
			— सविदागत भाटा एंट्री आप्रेटरों को भुगतान	15,258,884	13,396,230	
10. नॉवोड बोर्ड	-	2,458,718	— कोल्ड स्टोरेज सर्विक्षा शुल्क	2,025,938	2,525,200	
11. लीडब्लूडी	148,443	284,911	— विशेषज्ञों का यात्रा व्यय एवं परामर्शी शुल्क	318,162	73,091	
			— कार्यालय एवं विज्ञापन व्यय हेतु भुगतान	1,533,716	3,938,835	
12. एनसीसीटी	4,527,138	-	— वेबसाइट व सॉफ्टवेयर की एमसी	4,080,748	4,814,400	
			— बैंक प्रमार	422,986	393,023	
			— वेतन एवं भर्ते (30 प्रतिशत)	9,436,062	6,238,698	
			— पट्टें की डकानों के लिए भुगतान	643,926	484,038	
			— अचल परिस्थितिया	4,361,456	11,386,814	
			— कानूनी और व्यावसायिक प्रभार	70,800	-	
9. अंत शेष			क) हाथ में रोकड़			
			मुख्यालय पर	12,501		

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	2022-23		2021-22		भुगतान	2022-23		2021-22	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			राशि बोर्ड केन्द्रों पर		113,560	126,061	126,061	113,560	75,829
			ख) बैंक शेष						
			1) चालू खातों में						
			2) जमा खातों में (खाबाबो की आंतरिक प्रोद्धूत राशि)						
			3) जमा खातों में (प्रक्रिया शुल्क राशि / आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत)						
			4) बचत खातों में						
			— रा.बा.बो. केन्द्रों पर — अमदाय राशि		10,735,786				
			— मुख्यालय पर						
			— रा.बा.बो. योजनाओं एवं आंतरिक प्रोद्धूत हेतु			275,041,917			
			— आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउशर की लागत के लिए			24,409,074			
			— एनएसएम योजना के लिए			5,276,860			
			— एनवीएम योजना के लिए			985,520			
			— राष्ट्रीय केंसर मिशन के लिए			4,596,662			
			— एनएसएम दिल्ली केन्द्र के लिए			152,545			
			— एनवीएम दिल्ली केन्द्र के लिए			283,283	321,481,646	567,968,125	
			योग						4,240,755,901
	4,240,755,901	3,093,640,349	योग						3,093,640,349

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा वर्ष 2022–23 के लिए स्थापना व्यय

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	ईपीएफ बोर्ड की भागीदारी	12,093,853	11,570,201
2	छुट्टी नकदीकरण	10,046,431	8,959,530
3	छुट्टी यात्रा रियायत दावे	262,127	272,842
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	3,689,734	4,198,783
5	वेतन एवं भत्ते	53,966,823	53,412,793
6	कर्मचारी कल्याण	388,824	284,661
7	बोनस व अन्य भत्ता	16,730	2,000
8	बच्चों का शिक्षा भत्ता	692,160	729,000
9	परामर्शदाता को भुगतान	1,437,206	469,247
10	वर्ष के दौरान प्रदत्त उपदान	11,234,563	13,782,332
	कुल	93,828,451	93,681,389

वर्ष 2022–23 के लिए प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2022-23	2021-22
1	विद्युत और जल व्यय	1,416,290	1,481,132
2	जनरेटर चालन तथा अनुरक्षण	721,109	646,189
3	बीमा	29,891	27,800
4	मरम्मत एवं रखरखाव	1,564,587	653,451
5	सुरक्षा प्रभार तथा गृह-व्यवस्था व्यय	6,922,149	6,496,702
6	वाहन का चालन तथा अनुरक्षण	139,676	18,462
7	डाक, दूरभाष और संचार प्रभार	549,295	636,997
8	मुद्रण तथा स्टेशनरी	2,183,426	1,525,332
9	वाहन व यात्रा	2,749,680	1,549,527
10	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	19,060	18,414
11	कार्यालय व्यय	488,407	268,849
12	बैठक / सत्कार पर व्यय	188,153	74,267
13	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं शुल्क	1,584,340	1,133,929
14	विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,468,020	2,436,672
15	विज्ञापन तथा प्रचार	274,626	612,728
16	फोटोकापी प्रभार	986,633	602,148
17	संपत्ति कर	147,015	176,418
18	कोविड 19 व्यय	-	68,918
19	बैंक प्रभार	4,341	4,193
20	राजभाषा संवर्धन व्यय	103,180	78,809
	कुल	22,539,879	18,510,936

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2023 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-1

(राशि रुपयों में)

समग्र / पूँजी निधि	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष		
क. प्रक्रियां शुल्क और आवेदन प्रपत्र लेखा के अलावा निधियों हेतु	1,746,019,540	1,380,727,446
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखे से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	207,819,761	391,500,751
जोड़े : पुराने चैकों की वापिसी / (निरस्त)		
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (केन्द्रों में)		
जोड़े : पूर्व वर्षों का वापिस प्राप्त हुआ अव्ययित / अतिशय अनुदान (मुख्यालय में)	48,639,795	14,570,676
घटाएं : भारत सरकार को वापिस की गई निधि	14,570,676	2,307,186
घटाएं : आयकर / टीडीएस वापिसी		-
घटाएं : अन्य वसूली योग्य		-
घटाएं : डीए एंड एफडब्लू को देय व्याज	23,575,245	15,605,117
घटाएं : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित व्याज	24,924,544	1,939,408,632
ख. प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क लेखा हेतु	460,874,548	449,268,087
जोड़े : आयकर / टीडीएस वापिसी		-
जोड़े : अन्य वसूली योग्य		-
जोड़े : प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क से अर्जित व्याज	24,924,544	22,867,029
जोड़े / (घटाएं) : आय एवं व्यय लेखे से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(12,370,338)	473,428,754
वर्ष के अंत में शेष	2,412,837,386	2,206,894,088

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-2

(राशि रूपयों में)

आरक्षित तथा अधिशेष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. आरक्षित पूँजी :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पूर्णमूल्यांकन आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित :		
पिछले लेखा के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान जोड़ी गई		
घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
योग	-	-

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
गुरुग्राम
31 मार्च, 2023 को
तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-3

(राशि रुपयों में)

अभिविहिनत / संचयी निधियां	निधि-वार व्यौरा			योग	
	एनएचएम योजना	एनबीएम योजना	राष्ट्रीय केसर मिशन	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. निधियों का प्रारंभिक शेष	5,810,538	1,286,622	4,492,278	11,589,439	11,379,578
निधियों का प्रारंभिक शेष – ईएमडी					
ख. निधियों में वृद्धि					
i. अनुदान/ चंदे	26,000,000	1,388,849	-	27,388,849	17,000,000
ii. निधियों से आय (बचत खाते पर व्याज)	105,002	28,949	124,816	258,768	272,429
iii. पिछले वर्ष की अव्ययित धनराशि वापिस प्राप्त हुई	118,879	-	-	118,879	-
योग (क+ख)	32,034,419	2,704,421	4,617,095	39,355,935	28,652,007
ग. निधियों के उद्देश्य के निमित्त उपयोग/व्यय					
i. पूँजीगत व्यय :					
- अचल परिसंपत्तियां	1,350,825	-	-	1,350,825	245,110
- परियोजना के लिए दिया गया अनुदान	-	-	-	-	-
	1,350,825	-	-	1,350,825	245,110
ii. राजस्व व्यय :					
- वेतन, मजदूरी तथा भत्ते आदि	9,365,388	646,416	-	10,011,804	10,173,204
- बैंक शुल्क	320	275	-	-	(431)
- अन्य प्रशासनिक खर्च – टीएसजी	15,784,405	734,663	-	16,519,068	6,208,657
- एमएफपीआई/एचएमएनईएच/डीएसी को वापिसी	89,455	48,100	-	137,555	436,028
योग	25,239,568	1,429,454	-	26,668,427	16,817,458
कुल योग	26,590,393	1,429,454	-	28,019,847	17,062,568
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क+ख+ग)	5,444,026	1,274,967	4,617,095	11,336,088	11,589,439

नोट: उपरोक्त निवल शेष में अर्जित व्याज शामिल है।

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-4

(राशि रूपयों में)

प्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क. सावधि ऋण	-	-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
4. बैंक :	-	-
क. सावधि ऋण	-	-
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसिया	-	-
6. डिवेंचर तथा बांडस	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची-5

(राशि रूपयों में)

अप्रतिभूत ऋण तथा उधारियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
क. सावधि ऋण	-	-
ख. प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
4. बैंक:	-	-
क. सावधि ऋण	-	-
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
ख. अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
- प्रोदभूत ब्याज तथा देय	-	-
5. अन्य संस्थाएं तथा एजेंसियां	-	-
6. डिवेंचर तथा बांडस	-	-
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-6

(राशि रूपयों में)

आस्थगित क्रेडिट देयताएं	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. पूँजीगत उपस्कर तथा अन्य परिसंपत्तियां के रहन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियां	-	-
ख. अन्य	-	-
योग	-	-

टिप्पणी : एक वर्ष के भीतर देय राशि

अनुसूची-7

(राशि रूपयों में)

वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान देयताएं		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. विविध लेनदार :		
क. सामान हेतु	-	-
ख. अन्य	-	-
3. अग्रिम प्राप्ति		
4. निम्न पर प्रोद्भूत ब्याज किंतु देय नहीं		
क. प्रतिभूत ऋण / उधारियां	-	-
ख. अप्रतिभूत ऋण / उधारियां	-	-
	-	-
5. सांविधिक देयताएं :		
क. अतिदेय	-	-
ख. अन्य	-	-
	-	-
6. अन्य वर्तमान देयताएं	47,550,471	30,962,161
योग (क)	47,550,471	30,962,161
ख. प्रावधान		
1. कराधान हेतु		
2. उपदान	89,829,085	94,562,553
3. अधिवर्षिता / पेंशन		
4. संचित छुट्टी / नकदीकरण	60,009,264	64,088,620
5. व्यापार वारंटी / दावे		
6. अन्य—संदिग्ध ऋण	193,249,803	343,088,152
योग (ख)	343,088,152	353,100,755
योग (क+ख)	390,638,623	384,062,916

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

गुरुग्राम

अनुसूची-8

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र के अंश दर्शाती अनुसूचियाँ

(राशि रुपयों में)

विवरण	सकल छुल्क			मुख्यहास	निवल छुल्क						
	वर्ष के आरंभ में लागत	वर्ष के दौरान वर्धन 30 सितम्बर के भाव	कटौतियाँ/ समायोजन								
क. अचल परिसंपत्तियाँ											
(I) अनुदानों से											
भूमि:											
क. पूर्णस्वामित्व	3,139,088	-	-	3,139,088	-	-	-	-	-	-	3,139,088
ख. पट्टाधारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भवन:											
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	22,871,006	-	-	22,871,006	20,034,828	283,618	-	-	-	2,552,560	2,836,178
ख. पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. स्वामित्व पलैट /परिस्क्रेप्ट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ. भूमि के सुपरडाचे	162,742	-	-	162,742	141,857	2,088	-	-	-	18,797	20,885
संघर्ष मशीनरी एवं उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वाहन:	822,181	-	-	822,181	703,075	17,866	-	-	-	101,240	119,106
फर्मिचर तथा जुड़ताएँ	18,556,493	46,406	511,553	499,858	18,614,594	13,339,567	544,985	430,605	5,160,647	5,216,926	
कार्यालय उपस्कर	21,787,030	152,397	1,085,229	502,335	22,522,321	17,084,541	802,641	455,768	5,090,907	4,702,489	
काम्प्टर उपस्कर	18,121,512	1,006,938	1,265,297	521,792	19,871,955	16,933,223	1,129,914	518,702	2,327,520	1,188,289	
पुस्तकालय पुस्तकें	2,469,686	25,600	-	-	2,495,286	2,309,141	74,458	-	111,687	160,545	
ट्यूबवैल तथा जल आपूर्ति	85,040	-	-	-	85,040	84,904	20	-	116	136	
योग	88,014,778	1,231,341	2,862,079	1,523,985	90,584,213	70,631,136	2,855,590	1,405,075	18,502,562	17,383,642	
(II) प्रक्रिया शुल्क और आवेदन प्रपत्र तथा स्कीम ब्राउशर शुल्क राशि से											
भवन:											
क. फ्रीहोल्ड भूमि पर	2,296,404	-	-	-	2,296,404	1,785,812	51,059	-	459,533	510,592	

अनुसूची-8

(राशि रुपयों में)

विवरण	वर्ष के दौरान वर्धन		सकल लाईक		मूल्यांकन		निवल लाईक	
	आरंभ में लागत	30 सितंबर से पूर्व	कटौतियाँ / समायोजन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान	कटौतियाँ / समायोजन	वर्तमान वर्ष के अंत में लागत
ख. पट्टे वाली दुकानों पर	2,430,404	-	-	2,430,404	1,356,504	226,084	-	847,816
फर्नीचर एंड फिवरस	7,886,102	-	1,446,844	-	9,332,946	532,599	807,693	-
इलेक्ट्रिकल फिल्टरस	3,948,002	-	620,833	-	4,568,835	251,926	400,649	-
साप्टवेयर नसरी पोर्टल	2,950,000	-	-	-	2,950,000	1,180,000	708,000	-
नेटवर्किंग उपकरण	43,424	-	-	-	43,424	17,370	10,422	-
कार्यालय उपकरण	1,007,424	-	182,864	-	1,190,288	112,912	147,892	-
सोलर पैनल	2,625,322	-	-	-	2,625,322	2,522,791	41,012	-
योग	23,187,082	-	2,250,541	-	25,437,623	7,759,914	2,392,811	-
वर्तमान वर्ष का योग	111,201,860	1,231,341	5,112,620	1,523,985	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075
पिछले वर्ष का योग	97,899,990	8,319,607	10,070,980	5,088,717	111,201,860	78,169,855	4,872,381	4,651,186
ख. पूंजीगत कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	111,201,860	1,231,341	5,112,620	1,523,985	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075
								33,787,460
								32,810,810

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची—9

(राशि रूपयों में)

अभिविहिनत / संचयी निधियों से निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र	-	-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
योग	-	-

अनुसूची—10

(राशि रूपयों में)

अन्य निवेश	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	--
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर तथा बंध-पत्र	-	-
5. सहायक तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाए)	-	-
योग	-	-

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-11

(राशि रूपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वर्तमान परिसम्पत्तिया		
1. वस्तु सूचियां :		
क. भंडार एव कल पुर्जे	339,453	301,933
ख. हस्तगत स्टांप	-	-
ग. व्यापार में स्टॉक		
- तैयार सामान	-	-
- कार्य प्रगति पर	-	-
- कच्चा माल	-	339,453
2. विविध देनदार :		301,933
क. 6 महीने से अधिक अवधि का बकाया	-	-
ख. अन्य	-	-
3. हस्तगत नगदी शेष (चैक/ड्राफट आदि सहित)	126,061	75,829
4. बैंक शेष		
क. अधिसूचित बैंकों के पास :		
- चालू खातों में		
- जमा खातों में		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	433,400,000	427,900,000
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	1,294,700,000	1,233,800,000
- बचत खातों में (मुख्य कार्यालय)	310,745,860	560,067,030
- बचत खातों में – अग्रदाय खाता (केन्द्रों)	10,735,786	7,901,095
- बचत खाते में – सहायिकी खाता (केन्द्रों)	-	-
- बचत खाते में –आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत (केन्द्रों)	-2,049,581,646	2,229,668,125
ख. गैर अधिसूचित बैंकों के पास :		
- चालू खातों में	-	-
- जमा खातों में	-	-
- बचत खातों में	-	-
5. डाक घर बचत खाता	-	-
6. पारगमन अनुदान	500,000,000	100,000,000
योग (क)	2,550,047,160	2,330,045,887

अनुसूची—11

(राशि रुपयों में)

वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां		
1. ऋण और अग्रिम		
क. स्टाफ	1,021,337	1,103,132
ख. निकाय के समान क्रियाकलापों/उद्देश्यों में रत अन्य निकाय	-	-
ग. अन्य : बोर्ड की योजनाओं के तहत उधार ऋण		
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य		
- संदिग्ध	171,079,681	171,879,681
	172,101,018	172,982,813
2. नकद अथवा वस्तु में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य हेतु वसूली योग्य अग्रिम तथा अन्य राशियां		
क. पूँजी खाते में		
ख. पूर्व भुगतान	219,843	21,738
ग. जमा व वसूली योग्य	1,043,821	5,862,034
	1,263,664	5,883,772
3. अर्जित आयः		
क. निर्दिष्ट/संचयी निधि से निवेश पर	-	-
ख. एफडीआर निवेश पर		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	1,166,281	1,151,854
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	21,475,552	16,582,231
ग. बचत खातों पर		
प्रक्रिया शुल्क/आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत	199,012	27,348
रा.बा.बो. का आंतरिक प्रोद्भवन	3,884,540	2,095,131
एनएचएम का	14,621	33,310
एनवीएम का	6,164	5,818
राष्ट्रीय केसर मिशन	20,433	20,558
घ. उधार ऋणों पर		
- अच्छे माने गए तथा वसूली योग्य	-	-
- संदिग्ध	22,170,122	22,569,901
(अप्राप्त बकाया आय सहित)		
	48,936,726	42,486,151
4. प्राप्ययोग्य क्लेम (ब्याज और किराये पर बैंक द्वारा छोत पर कर कटौती)	8,676,068	18,337,010
योग (ख)	230,977,477	239,689,746
योग (क+ख)	2,781,024,637	2,569,735,633

स्थान : गुरुग्राम

हस्ता. /—

हस्ता. /—

हस्ता. /—

दिनांक : 19.06.2023

प्रबंध निदेशक

उप प्रबंध निदेशक

लेखा अधिकारी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा के अंश दर्शाती अनुसूचियां

अनुसूची-12

(राशि रुपयों में)

बिक्री / सेवाओं से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष		
1. बिक्री से आय :				
क. तैयार माल की बिक्री	-		-	
ख. कच्चे माल की बिक्री	-		-	
ग. स्क्रेप की बिक्री	-		-	-
			-	
2. सेवाओं से आय :				
क. प्रक्रिया शुल्क	-		-	
ख. आवेदन प्रपत्र एवं योजना ब्राउचर की लागत	20,495,536	20,495,536	18,995,637	18,995,637
योग		20,495,536		18,995,637

अनुसूची-12 क

(राशि रुपयों में)

आवेदन निधि और स्कीम ब्राउशर हेतु व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
1. आवेदन प्रपत्र और योजना ब्राउशर हेतु व्यय		32,865,874	30,256,205
योग	32,865,874		30,256,205

अनुसूची-13

(राशि रुपयों में)

अनुदान / सहायिकी (प्राप्त अप्रत्यादेय अनुदान तथा सहायिकी)	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार			
योजनागत व्यय			
एनएचबी बजट से	2,183,000,000		1,068,200,000
गैर योजनागत व्यय		-2,183,000,000	1,068,200,000
2. राज्य सरकार (सरकारें)			-
3. सरकारी एजेंसियां			-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय			-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन			-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)			-
योग	2,183,000,000		1,068,200,000

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची—14

(राशि रूपयों में)

शुल्क/अभिदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची—15

(राशि रूपयों में)

निवेशों से आय (निधियों में अंतरित निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों से निवेश पर आय)	निर्धारित निधि से निवेश		निर्धारित निधि से निवेश	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. ब्याज				
क. सरकारी प्रतिभूतियों पर	-		-	
ख. अन्य बंध-पत्रों/डिबैंचरों से	-		-	
ग. अन्य (बैंकों में सावधिक जमा)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. लाभांश				
क. शेयरों से	-	-	-	-
ख. म्यूचअल फंड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
योग	-	-	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों में अंतरित	-	-	-	-

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-16

(राशि रुपयों में)

रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. प्रकाशनों से आय	-	-
2. रॉयल्टी से आय	-	-
3. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची-17

(राशि रुपयों में)

अर्जित ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. मियादी जमा पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से (बैंक द्वारा काटा गया टीडीएस रु. 84,83,723/- सहित)	92,159,612	84,837,231
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग. संस्थानों से	-	-
घ. अन्य	- 92,159,612	- 84,837,231
2. बचत खातों पर :		
क. अनुसूचित बैंकों से	24,194,518	16,041,469
ख. गैर अनुसूचित बैंकों से	-	-
ग. डाक घर बचत खातों से	-	-
घ. अन्य – केन्द्रों पर	- 24,194,518	- 16,041,469
3. ऋणों पर :		
क. कर्मचारियों/स्टाफ से	47,022	2,168
ख. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से वसूली योग्य सेवा शुल्क	-	-
ग. उदार ऋण योजना के तहत लाभार्थियों से प्राप्त किया गया सेवा शुल्क	-	-
	47,022	2,168
4. ऋणी तथा अन्य प्राप्ति योग्य पर ब्याज	2,295,059	2,724,768
योग	118,696,211	103,605,636

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

अनुसूची-18

(राशि रुपयों में)

अन्य आय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:		
क. स्वयं की परिसंपत्तियां	-	-
ख. अनुदानों से अभिग्रहित, अथवा निःशुल्क प्राप्त की गई परिसंपत्तियां	-	-
	-	-
2. प्राप्त किराया	761,556	1,088,823
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	207,320	109,550
5. प्राप्त हुए सेवा प्रभार/दंड ब्याज	1,800,221	-
6. अन्य प्राप्ति	1,199,779	-
योग	3,968,876	1,198,373

अनुसूची-19

(राशि रुपयों में)

तैयार माल के स्टॉक में बढ़ोत्तरी/(कमी) तथा कार्य प्रगति पर	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1. अंतिम स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर	-	-
2. घटाएँ : प्रारम्भिक स्टॉक		
क. तैयार माल		
ख. कार्य प्रगति पर	-	-
शुद्ध वृद्धि/(कमी) [1-2]	-	-

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 19.06.2023

हस्ता./—
प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता./—
लेखा अधिकारी

अनुसूची—20

(राशि रुपयों में)

स्थापना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. वेतन एवं भत्ते	58,687,982	53,412,793
ख. अन्य भत्ते तथा बोनस	5,387,734	6,651,128
ग. भविष्य निधि में अंशदान	12,077,919	11,570,201
घ. स्टॉफ कल्याण पर व्यय	397,928	298,081
ड. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर व्यय तथा सेवांत लाभ	11,896,749	21,383,370
च. परामर्शदाता को भुगतान	1,421,996	591,121
योग	89,870,308	93,906,694

अनुसूची—21

(राशि रुपयों में)

अन्य प्रशासनिक व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. विद्युत तथा ऊर्जा	1,406,032	1,446,720
ख. जनरेटर चालन तथा रखरखाव	683,119	685,722
ग. बीमा	24,860	21,557
घ. मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,423,037	754,648
ड. सुरक्षा प्रभार तथा गृह व्यवस्था पर व्यय	6,978,831	6,481,971
च. वाहन चालन तथा अनुरक्षण	232,692	18,692
छ. डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	559,740	608,015
ज. मुद्रण तथा रेसेनरी	2,198,712	1,632,087
झ. यात्रा तथा वाहन व्यय	2,756,650	1,545,490
ञ. समाचार-पत्र एवं पत्रिकाएँ	19,159	19,036
ट. कार्यालय व्यय	482,802	244,517
ठ. बैठक / सत्कार संबंधी व्यय	185,027	74,199
ड. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक / शुल्क	1,584,340	1,133,929
ढ. विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	2,298,659	2,371,560
ण. विज्ञापन और प्रचार	274,626	612,728
त. फोटोकापी व्यय	922,368	654,558
थ. संपत्ति कर	147,015	176,418
द. टीडीएस पर व्याज	2,361	52
ध. पुस्तकें और पत्रिकाएँ	-	1,500
न. राजभाषा संवर्धन व्यय	103,180	78,809
प. कोविड -19 व्यय	-	68,918
फ. नीलामी पर कमीशन	5,605	24,332
ब. बैंक प्रभार	4,341	4,193
भ. अवकाश नकदीकरण पर व्याज	15,988	-
म. अवकाश वेतन अंशदान	18,780	-
य. पेंशन अंशदान	15,934	-
योग	22,343,858	18,659,650

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /-

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /-

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /-

लेखा अधिकारी

अनुसूची—22

(राशि रूपयों में)

अनुदानों, सहायिकी आदि पर व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. संस्थानों/संगठनों को दिए गए अनुदान		
ख. संस्थानों/संगठनों को दी गई सहायिकी (उत्तरपूर्वी राज्यों के अलावा हेतु)		
i) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	817,041,548	269,999,500
- उदार ऋण योजना के तहत कानूनी मामलों हेतु विविध व्यय	163,500	67,500
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	1,026,537,500	265,311,300
iii) बागवानी हेतु प्रौद्योगिकी विकास/संवर्धन	7,339,640	4,777,496
iv) बागवानी फसलों हेतु बाजार सूचना सेवा	-	-
v) बागवानी संवर्धन सेवाएं	27,175,274	28,397,661
vi) मिशन प्रबंधन व प्रशासनिक व्यय		
क. स्थापना व्यय — केन्द्र	66,210,455	54,236,661
ख. प्रशासनिक व्यय — केन्द्र	30,148,275	24,497,262
vii) बीजिंग चीन में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी पर खर्च	-	-
viii) इंटरनेशनल हार्टि एक्सपो फ्लोरिएड 2022— नीदरलैंड्स	5,766,567	16,577,154
व्यय (उत्तर पूर्वी राज्यों सिक्किम सहित हेतु)		
i) व्यावसायिक बागवानी का विकास (सहायिकी)	-	-
ii) कोल्ड स्टोरेज हेतु पूंजीगत निवेश सहायिकी	-	-
iii) बागवानी के संवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी विकास/हस्तांतरण	-1,980,382,759	200,000 664,064,534
योग	1,980,382,759	664,064,534

टिप्पणी : निकायों के नाम, उनके क्रियाकलापों तथा अनुदान/सहायिकी राशि को प्रकट किया जाए।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र संगठन इस प्रकार से हैं :-

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, संगठनों/प्रोमोटरों, जैसे उत्पादकों का एसोसिएशन, व्यक्तिगत, कृषक उत्पादकों/उपभोक्ताओं का समूह, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ), साझेदारी/स्वामित्व फर्मों, स्वतः सहायता समूहों (एसएचजीओ), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), कम्पनियां, निगमों, सहकारिताओं, सहकारिता विपणन फैडरेशन, कृषि उत्पाद विपणन समितियां, विपणन बोर्ड/समितियां, नगर निगमों/कमेटियां, एग्रो—इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशनों, एसएयू(ओ) और अन्य संबंधित आर एंड डी संगठनों रा.बा.बो. की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

प्रत्येक गतिविधि में वितरित की गई सहायिकी को उपरोक्त अनुसूची सं. 22 में दर्शाया गया है। लाभार्थी—वार विवरण अलग पुस्तिका में उपलब्ध है। रा.बा.बो. की योजनाओं के अतिरिक्त, रा.बा.बो. एनएचएम, एनबीएम, एमओएफपीआई योजनाओं और केसर मिशन के विशेष घटकों को भी क्रियान्वित करता है।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—

प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—

लेखा अधिकारी

अनुसूची-23

(राशि रूपयों में)

ब्याज	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क. स्थायी ऋणों पर	-	-
ख. अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभारों सहित)	-	-
ग. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
योग	-	-

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाठी

वित्तीय विवरणों को जब तक अन्यथा घोषित नहीं किया जाए, ऐतिहासिक लागत परिपाठी तथा लेखांकन की प्रोटोकॉल प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। मार्च 2023 के महीने के वेतन एवं भत्तों का प्रावधान खातों में किया गया है।

2. वस्तु सूचियों का मूल्यांकन

भंडार, कलपुर्जों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) तथा स्टेशनरी वस्तुओं को लागत पर मूल्यांकित किया गया है।

3. निवेश

लागू नहीं

4. उत्पाद शुल्क

लागू नहीं

5. अचल परिसंपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों को आवक माल दुलाई सहित अधिग्रहण की लागत, शुल्क और करों तथा अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्ययों की लागत पर दर्शाया गया है।

6. मूल्यहास

- (क) मूल्यहास को आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर कम मूल्य लिखे जाने की पद्धति पर मुहैया करवाया गया है।
- (ख) वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वर्धन/कटौतियों के संबंध में मूल्यहास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार मुहैया करवाया गया है।

7. विविध व्यय

लागू नहीं

8. बिक्री हेतु लेखांकन

लागू नहीं

9. सरकारी अनुदान / सहायिकी

- (क) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार से प्राप्त सहायता—अनुदान को प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- (ख) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार ने पत्र सं. एम-12011/1/2022-एमआईडीएच दिनांक 31.03.2023 के तहत रु. 50.00 करोड़ सामान्य सहायता अनुदान स्वीकृत और जारी किया है

जो 2 अप्रैल, 2023 को एनएचबी द्वारा बैंक खाता संख्या 193501000000101 में प्राप्त किया गया था।
31.03.2023 को इसे पारगमन सहायता अनुदान के रूप में दिखाया गया है।

- (ग) विभिन्न योजनाओं, एनएचबी योजनाओं को छोड़कर, के अंतर्गत सरकार से प्राप्त सहायता—अनुदान को निर्दिष्ट निधियों में लेखांकित किया गया है।
- (घ) गैर—मौद्रिक परिसंपत्तियों के साथ—साथ विशिष्ट अचल संपत्तियों से संबंधित अनुदानों की प्रकृति वाला कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

10. विदेशी मुद्रा लेन—देन

विदेशी मुद्रा लेन—देन को तत्संबंधी लेन—देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों पर दर्ज किया गया है।

11. लीज

लीज रेंटल्स को लीज शर्तों के संदर्भ में खर्च किया जाता है।

12. सेवानिवृत्ति हितलाभ

- (क) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर देय उपदान संबंधी देयता को प्रोदभवन मूल्यांकन पर लेखांकित किया गया है।
- (ख) कर्मचारियों के लिए संचयित छुट्टी के नकदीकरण लाभ संबंधी प्रावधान को प्रोदभूत किया गया है तथा उसे यह मानकर परिकल्पित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में कर्मचारी इस लाभ को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. राजस्व मान्यता

- (क) एफडीआर, बचत बैंक खाता पर ब्याज जैसी आय (बैंक से ब्याज प्रमाण पत्र के साथ—साथ आयकर विभाग के 26 एएस) को प्रोदभवन आधार पर लेखांकित किया गया है।
- (ख) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त शेषों को जब और जैसे प्राप्त होने पर लेखांकित किया गया है।
- (ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता/सहायिकी के लिए जारी राशि को जारी किए जाने के वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया गया है तथा वर्तमान वर्ष के दौरान वापिस प्राप्त की गई पिछले वर्षों की अप्रयुक्त धनराशि को समग्र/पूंजी निधि में लेखांकित किया गया है।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि हेतु लेखे का भाग होने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 25 – आकस्मिक देयताएं तथा लेखों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1 निकाय के प्रति दावों जिन्हें ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.2 निम्न के मामले में –
 - निकाय की ओर से /द्वारा दी गई बैंक गारंटियां – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - निकाय की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख—पत्र – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - बैंकों के साथ छूट दिए गए बिल – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
- 1.3 निम्न के संबंध में विवादित मांगे:
 - बिक्री कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - नगर निगम कर रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)
 - न्यायालय मामले रुपये 4.00 करोड़ (लगभग) (पिछले वर्ष रुपये 3.00 करोड़)
- 1.4 आदेशों के गैर—निष्पादन के लिए पक्षों द्वारा किए गए दावे, परंतु जिनका निकाय द्वारा प्रतिवाद किया जा रहा है – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखे पर निष्पादन हेतु शेष संविदाओं का अनुमानित मूल्य जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। (अग्रिम निवल) – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

3. पट्टा बाध्यताएं

संयंत्र तथा मशीनरी के लिए वित्त पट्टा व्यवस्थाओं के अंतर्गत किरायों के लिए भविष्य की बाध्यताएं – रुपये शून्य (पिछले वर्ष रुपये शून्य)

4. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम

प्रबंधन के मतानुसार, व्यापार के सामान्य रूप में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋणों तथा अग्रिमों का वसूली मूल्य, तुलन—पत्र में दर्शाई गई समग्र राशि के समतुल्य है।

5. कराधान

- क) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत निर्धारण वर्ष 2008—09 तक केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) को अधिसूचित किया गया था। एन.एच.बी. ने निर्धारण वर्ष 2009—10 से 2010—11, 2011—12 से 2013—14 और 2014—2015 और आगे के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के तहत छूट के नवीकरण के लिए आयकर प्राधिकारियों के पास आवेदन दायर किया, परन्तु आयकर प्राधिकारियों द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। बोर्ड ने आयकर प्राधिकारियों के फैसले के खिलाफ चंडीगढ़ में

ਪंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की हैं। माननीय उच्च न्यायालय से मामले में निर्णय प्रतीक्षित है। बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12AA के तहत आयकर प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है। एन.एच.बी., आयकर विभाग में शून्य आय की अपनी आयकर रिटन (आईटीआर) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23C)(iv) के अनुपालन हेतु धर्मार्थ संस्थान द्वारा अपेक्षित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ समय से प्रतिवर्ष दाखिल कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022–23 (निर्धारण वर्ष 2023–24 संबंधित) के दौरान इंडियन ओवरसीज बैंक, एन.एच.बी. ब्रांच, गुरुग्राम द्वारा एन.एच.बी. की सावधि जमा के ब्याज / किराये पर टीडीएस राशि रु. 84,142/- काटी गई है जो आयकर प्राधिकारियों के पास आयकर रिटन दाखिल करने के समय रिफंड के रूप में दावायोग्य है। एन.एच.बी. को निर्धारण वर्ष 2016–17, 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 व 2021–22 का आयकर प्राधिकारियों से रिफंड प्राप्त हुआ है जो आयकर विभाग द्वारा आय को शून्य मानते हुए वर्ष के दौरान किराया रसीदों और एफडीआर(ओं) के अर्जित ब्याज पर टीडीएस के रूप में काटा गया था।

- ख) बोर्ड ने 31 दिसंबर 2021 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12एए के तहत पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए फॉर्म संख्या 10 ए में आवेदन किया है। प्रधान आयकर आयुक्त / आयकर आयुक्त ने 07.01.2022 को निर्धारण वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक 5 (पांच) वर्षों के लिए बोर्ड के पंजीकरण का आदेश दिया है।

6. विदेशी मुद्रा लेन–देन

6.1 सीआईएफ के आधार पर परिकल्पित आयातों का मूल्य

- तैयार माल की खरीद शून्य
- कच्चा माल तथा घटक (अंतरण अधीन सहित) शून्य
- पूंजीगत वस्तुएं शून्य
- भंडार, कलपुर्ज तथा उपभोज्य शून्य

6.2 विदेशी मुद्रा में व्यय

क.	यात्रा व्यय	रु. 10,87,270/-
ख.	वित्तीय संस्थानों/बैंकों को विदेशी मुद्रा में प्रेषित धनराशि तथा ब्याज का भुगतान	शून्य
ग.	प्रौद्योगिकी जागरूकता हेतु मशीनरी की खरीद संबंधी भुगतान	शून्य
घ.	अन्य व्यय:	
	— बिक्री पर कमीशन	शून्य
	— विधिक तथा व्यावसायिक व्यय	शून्य
	— विविध व्यय	शून्य

6.3 आय

- एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य शून्य

6.4 लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिकः

- लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में शून्य
- जेब खर्ची व्यय शून्य

- | | |
|--|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> — कराधान मामले — अन्य | शून्य
शून्य |
|--|----------------|
7. आवेदन प्रपत्र व स्कीम ब्राउचर की लागत के कारण संचयी निधि और आवेदन प्रपत्र एवं स्कीम ब्राउचर की लागत से सुजित स्थाई परिसंपत्तियों पर खर्च किए गए व्यय को बोर्ड के वार्षिक लेखों में अलग से दर्शाया गया है।
8. सिविल मुकदमा दाखिल किए जाने के वर्ष से दाखिल उदार ऋण मामले में सेवा प्रभार का प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, मुकदमा किए गए उन मामलों के संबंध में वसूली की सीमा तक सेवा प्रभार लगाया गया है जिसमें संबंधित अवधि के दौरान राशि वसूल की गई है।
9. उन उदार ऋण मामलों की वसूली के समायोजन संबंधी, रा.बा.बो. की पद्धति के अनुसार, जिनमें वसूली की एकमुश्त राशि जो मूलधन राशि और देय सेवा प्रभारों से कम है, रा.बा.बो. वसूली की राशि को पहले सेवा प्रभारों में और बाकी की राशि को मूलधन राशि में समायोजित करता है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, एन.एच.बी. की पूर्ववर्ती सॉफ्ट लोन योजना के तहत वसूली केवल रु. 30.00 लाख है जिसमें से रु. 11,99,779/- मूल धनराशि एवं सेवा प्रभार के रूप में और रु. 18,00,221/- दंडात्मक व्याज के रूप में लेखांकित किया है।
10. लाभार्थियों द्वारा देयों के विलंब से किए जाने वाले भुगतानों के संबंध में लेखों में दंडात्मक व्याज का प्रावधान नहीं किया गया है। इसे प्राप्ति के आधार पर लेखांकित किया जाता है।
11. उदार ऋणों की वसूली के लिए बोर्ड ने चूककर्ता ऋणियों के खिलाफ सिविल मुकदमें दायर किए हैं। 31.03.2023 तक संदिग्ध ऋणों के लिए 19,32,49,803/- रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।
12. सिविल मुकदमा दाखिल किए गए मामलों में न्यायालय शुल्क, यदि कोई हो, को व्यय लेखा से भुगतान आधार पर घटाया गया है।
13. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने (फरवरी 2017) में अस्थायी तौर पर (सितम्बर 2016 में परिसमाप्त हुए) पूर्ववर्ती राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नॉवोड) की भूमि व भवन को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था और एनएचबी को अपने बजट में से सुरक्षा स्टाफ, बिजली व्यय आदि की मजूदरी का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था जिसके लिए एन.एच.बी. को बाद में फंड हस्तांतरित किया जाएगा। 31 मार्च 2023 तक नॉवोड की ओर से राशि रु. 7,03,088/- का भुगतान किया गया है जिसे लेखा बहियों में दिखाया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 18 मार्च, 2020 के माध्यम से सूचित किया है कि गेहूं विकास निदेशालय (डीडब्ल्यूडी), गाजियाबाद अपने कार्यालय को सेक्टर -18, गुरुग्राम स्थित भवन पूर्व नॉवोड बोर्ड में स्थानांतरित करने जा रहा है और भवन की सुरक्षा के लिए वर्तमान व्यवस्था जारी रखने का अनुरोध किया है। डीडब्ल्यूडी की ओर से राशि रु. 1,48,443/- का भुगतान किया गया है।
14. पिछले वर्ष के तदनुरूपी आंकड़ों को, जहां आवश्यक समझा गया है, पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया है।
15. आंकड़ों को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया है।
16. 31 मार्च, 2023 तक के तुलने-पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ संलग्न 1 से 25 तक अनुसूचियां, इसका एक एकीकृत भाग है।

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19.06.2023

हस्ता. /—
प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
उप प्रबंध निदेशक

हस्ता. /—
लेखा अधिकारी

CONTENTS

PREFACE

1. INTRODUCTION

- 1.1 Vision
- 1.2 Mission
- 1.3 Objectives

2. THE ORGANIZATION

- 2.1 Board of Directors
- 2.2 Managing Committee

3. RESOURCES

- 3.1 Our People
- 3.2 Our Network
- 3.3 Our Infrastructure

4. FUNDING

5. SCHEMES/PROGRAMMES

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post- Harvest Management of Horticulture Crops

- 5.1.1 Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode
- 5.1.2 Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode
- 5.1.3 Integrated Post Harvest Management projects
- 5.1.4 Achievements

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/ Expansion/ Modernization of Cold Storage and Storages for Horticulture Produce

- 5.2.1 Cold Storage unit Type-1 – basic type with single temperature zone
- 5.2.2 Cold Storage unit Type- 2 - with multiple temperature zones and basic material handling equipment
- 5.2.3 Cold Storage unit Type- 2 - with add on technology for Controlled Atmosphere
- 5.2.4 Technology induction and modernization of cold chain
- 5.2.5 Achievements

- 5.3 **Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture**
 - 5.3.1 Objectives
 - 5.3.2 Components & Pattern of Assistance
 - 5.3.3 Achievements
- 5.4 **Market Information Service for Horticultural Crops**
- 5.5 **Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capabilities of NHB**

HIGHLIGHTS : 2022-23

- 1. **Promotion of Commercial Horticulture**
 - a) Commercial Horticulture- Open Cultivation
 - b) Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables
 - c) Support to Post-Harvest Management
 - d) Supplementary Activities
- 2. **Creation of Cold Storage Capacity**
- 3. **Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture**
 - a) Capacity Building Programmes
 - b) Quality Planting Material
- 4. **Celebration of Vigilance Awareness Week**
- 5. **Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition**

New initiatives taken by NHB during the period of Report:

- I) Horticulture Cluster Development Programme

ANNEXURES

- I. Objectives of the National Horticulture Board
- II. List of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2023
- III. Staff Position as on 31.03.2023
- IV. List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address
- V. Annual Accounts of the Board for the year 2022-23

PREFACE

It is a matter of pride to place it on record that during 2022-23 horticulture sector in the country has recorded a production of 350.87 MT (First Advance Estimates) which is highest ever in the history of Indian Horticulture. India retains its position as the 2nd largest producer of Fruits and Vegetables globally. This demonstrates willingness and entrepreneurship of Indian farmers to accomplish the task of production of perishable horticulture produce and contribute towards food and nutritional security of the Nation.

NHB has played an important role in achieving this milestone by providing support to the farmers and entrepreneurs for improved quality production, post-harvest management and value addition through its broad based entrepreneur driven innovative schemes. Since its inception in 1984, NHB has contributed immensely to Commercial Horticulture sector with its initial journey of development hi-tech commercial horticulture and cold chain infrastructure by launching of soft loan schemes during 1993 and introduction of credit linked back end subsidy schemes in the year 2000. Since 2014-15 onwards, NHB has been brought under Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) to accelerate planned development of commercial horticulture and post harvest management infrastructure in the country.

Some of the highlights of the horticulture development with financial assistance from NHB during the year include establishment of 329 numbers of commercial horticulture projects in an area of 570.72 hectare, 12 post-harvest management and hi-tech commercial units and establishment of 63 cold storage units with a storage capacity of 4.14 lac metric tonnes.

In order to address the challenges and enhance the global competitiveness of the Indian horticulture sector, the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare, Government of India, has launched the Horticulture Cluster Development Programme (CDP). It is a Central Sector programme, which is being implemented by the National Horticulture Board. The programme aims to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains.

Further, as per the announcement made by the Hon'ble Finance Minister in her Budget Speech in February 2023, a Clean Plant Programme (CPP) is to be implemented by the Ministry of Agriculture and Farmers with an aim to ensure access to disease free quality horticulture planting material to the farmers. NHB has been designated as the Nodal Agency for implementation of this Programme. NHB has initiated the process to design this programme after concerned stakeholders consultation.

I must place it on record that the initiatives and achievements of the Board in the field of Horticulture would not have been possible without the visionary guidance of Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare & President of the Board Shri Narendra Singh Tomar and all the Members of Board of Directors of NHB. I am especially thankful to Shri Manoj Ahuja, Secretary DA&FW & Chairman of Managing Committee and its members for their regular guidance and support. I also appreciate the excellent support rendered by the team of officers and staff of NHB has in achieving the objectives of the Board.



(PRIYA RANJAN)
Managing Director

1. INTRODUCTION

National Horticulture Board (NHB) was set up by Government of India in April 1984 as an Autonomous organization under the administrative control of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and registered as a society under Societies Registration Act with its headquarters at Gurugram. Presently, NHB has 29 field offices located all over the country. The broad aims and objectives of the Board are to develop production clusters/hubs for integrated hi-tech commercial horticulture, development of Post-harvest and cold chain infrastructure, ensuring availability of quality planting material and to promote adoption of new technologies/tools/ techniques for Hi-tech commercial horticulture etc.

1.1 Vision

- Recognizing the fact that the Commercial Horticulture provides not only food and nutritional security but also paves the way for crop diversification for better economic gain and risk mitigation for the farmers: the need for promoting this sector by concerted efforts for private investment through commercial horticulture projects has been visualized.
- This sector includes area expansion under commercial horticulture projects in the Country; creation of post harvest management related infrastructure combined with public and private sector initiatives of technology development and transfer, product promotion, marketing & export.
- With this vision, National Horticulture Board is striving to accelerate the process of the development of commercial horticulture in potential clusters by organizing the producer farmers for better utilization of resources, transfer of technology and gaining benefit of scaling up.

1.2 Mission

- To promote commercial horticulture through development of production hubs and ensuring availability of quality planting material.
- To promote investment in Post-Harvest Management and Cold Chain infrastructure.
- To promote development and transfer of technology for quality production.
- Product promotion, market development and export promotion through synergy amongst producers, farmers, extension workers, research organizations, private stake holders and credit institutions.

1.3 Objectives

The main objectives of the NHB are to improve integrated development of Horticulture industry and to help in coordinating, sustaining the production and processing of fruits and vegetables. Detailed objectives of the Board are given at [Annexure-I](#).

2. THE ORGANIZATION

2.1 Board of Directors

The overall management of all the activities of NHB is supervised by "Board of Directors", which is headed by the Hon'ble Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare as its President and Hon'ble Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare as its Vice-President. The composition of the Board of Directors is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare	President (Ex-Officio)
2.	Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare	Vice-President (Ex-Officio)
3.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Director General, Indian Council of Agriculture Research	Member (Ex-Officio)
5.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
7.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
8.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
9.	Advisor (Agriculture), Niti Aayog	Member (Ex-Officio)
10.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
11.	A representative of Ministry of Food Processing Industry (MoFPI) or any other Ministry who may be invited especially with the consent of the President	Member (Ex-Officio)
12.	11 Representatives of Horticulture industry representing the interests of Co-operative Societies, leading horticulturists and leading exporters of horticulture produce. (To be nominated by the Central Govt.)	Non Officials Members
13.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

A list of Members of the Board of Directors of National Horticulture Board as on 31.03.2023 is given in [Annexure-II](#).

2.2 Managing Committee

The Union Secretary (Agriculture & Farmers Welfare) heads the Managing Committee of the NHB as its Chairman. It has been assigned the role of General Supervision, Direction and Control of the affairs and functions of the Board. The composition of the Managing Committee is as under:

Sr. No.	Designation of Member	Status
1.	Union Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Chairman (Ex-Officio)
2.	Additional Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
3.	Additional Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
4.	Joint Secretary & Mission Director (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
5.	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare	Member (Ex-Officio)
6.	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Member (Ex-Officio)
7.	General Manager, National Bank for Agriculture and Rural Development	Member (Ex-Officio)
8.	A representative of Farmers (To be nominated by the Central Govt.)	Member
9.	Managing Director, National Horticulture Board	Member Secretary (Ex-Officio)

3. RESOURCES

3.1 Our People

Managing Director is the Principal Executive of the Board who is assisted by technical and administrative divisions. The details of sanctioned and filled up posts are given at [Annexure-III](#).

3.2 Our Network

The Head Office of the Board is situated at Gurugram, Haryana. Besides, there are 29 field offices located in different parts of the country. List of our field offices are given at [Annexure-IV](#).

3.3 Our Infrastructure

1. A sprawling well maintained green campus of 5.4 acres.
2. Fully computerized work environment at Head Office and in field offices.
3. Well equipped Library having wide range of horticultural publications.
4. Committee Halls and Canteen Facilities at Head Office.

4. FUNDING

The activities of the Board are funded by the Government of India by way of grants-in-aid. The details of the funds received and expenditure incurred under various Schemes during the year 2022-23 are given hereunder: -

(Amount in Rs. Lakh)

Sr. No.	Name of Scheme	Grant Received	Unspent Balance as on 01.04.2022	Total fund available	Expenditure incurred
1.	NHB	21830.00#	4926.31*	26756.31	20931.84
2.	NHM (TSG)	260.00	58.10	318.10	265.01
3.	NBM (TSG)	13.89	12.87	26.76	13.81

* An amount of Rs 301.76 lakh was refunded to DAC&FW during the year 2022-23 (on account of unspent balance prior to 2021-22, call back subsidy and interest earned)

Rs. 5000.00 lakhs received in NHB's Bank Account on 02.04.2023

5. SCHEMES/PROGRAMMES

Since its inception, NHB has taken up various innovative programmes/schemes to promote large scale adoption of modern package of practices and processing/value addition in horticultural crops. The present compendium of schemes is set of intervention to achieve high quality commercial production, create post-harvest infrastructure and cold chain facilities, and promote Transfer of Technology for Production and Post Harvest Management. Highlights of the schemes and achievements during the year 2022-23 are given hereunder:-

5.1 Development of Commercial Horticulture through Production and Post-Harvest Management of Horticulture Crops

Under this scheme, projects for establishment of commercial production units in open fields as well as under protected conditions, post-harvest management and primary processing units are eligible for financial assistance.

Description of Components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Description	Pattern of Assistance
5.1.1	Commercial Horticulture Development in open field conditions on project mode	National Horticulture Board considers integrated commercial horticulture development projects in open field conditions on project mode, including components viz planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, precision farming, GAP etc. for projects covering area over 2.00 ha. (5 Acres). Integrated production unit on Mushroom and tissue culture are also eligible for assistance under this component. The components like farm machinery and PHM infrastructure, irrigation and micro irrigation etc. are also eligible under the scheme for assistance in existing/new orchards/projects to increase productivity.	Credit linked back-ended subsidy @ 40% of project cost limited to Rs 30.00 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 37.50 lakh in NE Region, Hilly States and Scheduled areas.
5.1.2	Commercial Horticulture Development in protected cover on project mode	Commercial horticulture development projects under protected cover on project mode including components viz. planting material, plantation, irrigation, fertilization, mechanization, etc. for projects having area over 2500 sq. meter are being considered. Activities like construction of green houses, shade net house, plastic mulching, and plastic tunnel, anti bird /hail nets etc. are eligible for assistance. However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.	Credit linked back-ended subsidy @ 50% of the total project cost limited to Rs 56.00 lakh per project as per admissible cost norms. (Board is permitted to take up projects under protected cultivation in an area of 1000 sqm. and above in NE States).
5.1.3	Integrated Post Harvest Management projects	i) Integrated Post Harvest Management projects relating to Pack House, Ripening Chamber, Reefer Van, Retail Outlets, Pre-cooling unit, etc. are assisted under this component. NHB also accepts standalone projects of PHM in component mode.	Credit linked back-ended subsidy @ 35% of the total project cost limited to Rs 50.75 lakh per project in general area and @ 50 % of project cost limited to Rs. 72.50 lakh per project in NE Reign Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.

		<p>ii) Primary processing units of fruits, vegetables, flowers, cashew and aromatic plants only.</p>	<p>Credit linked back-ended subsidy @ 35% of cost limited to Rs.8.75 lakh per project in general areas and @ 50% of project cost limited to Rs. 12.50 lakh per project in NE Regean Hilly States and Scheduled areas, ensuring backward and forward linkage.</p>
--	--	--	--

5.1.4 Achievements

Under the schemes, the Board has sanctioned 329 projects during the financial year and released subsidy of Rs. 8148.624 lakhs. The projects includes Hi-Tech Horticultural Crops, Tissue Culture Units, Floriculture Units, Mushroom Cultivation, Establishment of Pack House and Grading Centres, Ripening Chambers, Reefer van, Pre-cooling units, Cold Room, Primary Processing units etc.

OPEN FIELD CULTIVATION



NHB Assisted Project of Guava Cultivation in Chhattisgarh



NHB Assisted Project of Banana cultivation in Chhattisgarh

OPEN FIELD CULTIVATION



NHB Assisted Project of Grapes Cultivation in Maharashtra



NHB assisted Project of Mushroom in (Chhattisgarh)

PROTECTED CULTIVATION



NHB Assisted Project of Capsicum Cultivation in Tamil Nadu



NHB Assisted Project of Cucumber Cultivation in Madhya Pradesh

PROTECTED CULTIVATION



NHB Assisted Project of Chrysanthemum in Maharashtra



NHB Assisted Project of Roses in Tamil Nadu

PROTECTED CULTIVATION



NHB Assisted Project of Orchid Cultivation in Tamil Nadu



NHB Assisted Project of Rose Cultivation in Karnataka

5.2 Capital Investment Subsidy Scheme for Construction/Expansion/Modernization of Cold Storages and Storages for Horticulture Products

Credit linked projects relating to Cold Storages including Controlled Atmosphere (CA) and their modernization are eligible for assistance under this component.

Description of components and Pattern of Assistance

Sr. No.	Particulars	Items	Pattern of Assistance
5.2.1	Cold Storage unit Type 1 – basic mezzanine structure with large chamber (>250 MT) type with single temperature zone	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • @Rs. 8000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 7600/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 7200/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 6800/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	<p>Credit linked back-ended subsidy @35% of the cost of project (50% in NE Region Hilly States and Scheduled Areas) for capacity above 5000 MT. For calculation of capacity 3.4 cubic meters (cum.) (120 cubic feet {cft}, of chamber volume shall be considered equivalent to 1 MT storage capacity. (Board is permitted to take up cold storage projects in NE Region Area for capacity of 1000 MT or above). However, for availing subsidy, all material/technology should conform to prescribed standards.</p>
5.2.2	Cold Storage unit Type 2 – PEB type for multiple temperature and product use, more than 6 chambers of <250 MT and basic material handling equipment	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per following rates:-</p> <ul style="list-style-type: none"> • @Rs. 10000/MT for capacity up to 5000 MT • @Rs. 9500/MT for capacity between 5001 to 6500 MT • @Rs. 9000/MT for capacity between 6501 to 8000 MT • @Rs. 8500/MT for capacity between 8001 to 10000 MT 	
5.2.3	Cold Storage unit Type 2 with add on technology for Controlled Atmosphere	<p>NHB take up projects with capacity above 5000 MT up to 10000 MT as per Type 2 rates given above:-</p> <p>Additional Rs. 10,000/MT for add on components of controlled atmosphere technology as per component wise cost.</p>	

5.2.4	Technology induction and modernization of cold-chain	<ul style="list-style-type: none">• @Rs. 5000/MT for capacity between 5001 to 10000 MT• Components of modernization include PLC equipment, packaging line, dock levelers, advance graders, alternate technologies, stacking system, modernization of insulation and refrigeration etc.	
-------	--	---	--

5.2.5 Achievements

Under the scheme, the Board has sanctioned 63 projects of Cold Storages/CA Storages during the financial year under report and released subsidy of Rs.10201.655 lakh for creation of capacity of 413741.76 MT.

COLD STORAGE



NHB assisted Cold Storage project at Andhra Pradesh



NHB assisted Cold Storage project at Andhra Pradesh

5.3 Technology Development and Transfer for Promotion of Horticulture

5.3.1 Objectives

Projects for popularization of identified new technologies/tools/techniques for commercialization/adoption shall be undertaken through following sub-components:

5.3.2 Components & Pattern of Assistance

Sr. No.	Components	Pattern of Assistance
i	Setting up of block/mother plant and root stock nursery (Area above 4 ha)	Project based - 100% and only through Govt. agency/Public Sector @ Rs.100.00 Lakh/ha. for effective nursery area including virus indexing, tissue culture lab etc.
ii	Acquisition of technologies including import of planting material from other countries for evaluation and mass multiplication in order to increase production & productivity of horticulture crops	Project based - 100% and only through Govt. agency/PSUs @ Rs.50.00 lakh/project.
iii	Import/procurement of Machines and Tools for horticulture for demonstration purpose	Rs. 50.00 lakh/machine. 100% of total cost and only through Govt. agency/ Public Sector. Proposals of Growers Associations promoted by NHB and Co-operative Societies and Farmers Producers Organization may also be considered on merit as per direction of Board of Directors.
iv	<p>Development & Transfer of Technology:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Pilot project for introduction of new farm input and appropriate technologies etc. for promoting high quality commercial production or increase in productivity. (ii) Development and introduction of new protocol relating to PHM, Cold Chain, Primary processing, Bio-technology and introduction of new tools/equipment/machineries for PHM, storage including cold chain system and handling. (iii) R & D projects for solving specific problems related to production, PHM, packaging, storage, handling and transport. 	Up to Rs.25.00 lakh/project as 100% of total cost and only through Govt. agency/ PSU
V	Long Distance Transport Solution component to facilitate long distance	Project based Rs 2000.00 lakh

	transportation and bulk movement of horticulture products through rail etc.	
vi	Product Promotion and Market Development Services- Horti-fairs	100% of cost by Central Nodal Agency @Rs. 25.00 lakh
vii	Exposure visit of farmers (Outside State)	Project based as per actual, 100% of the cost
viii	Visit Abroad for Government Officers	Rs. 6.00 lakh per participant, 100% of air / rail travel and course fee
ix	Organization/participation in seminars/ workshops/exhibitions etc. for development of horticulture	<ul style="list-style-type: none"> (i) The financial assistance is limited up to Rs.10.00 lakh for International event (3-5 days), Rs.5.00 Lakh for National event, Rs.3.00 lakh for State Level event and Rs.0.50 lakh for District Level event. (ii) In case of short duration (1-2 days) seminars, financial assistance would be limited to: <ul style="list-style-type: none"> • Rs.1.00 lakh per event for State Level event, • Rs. 2.00 lakh for National level event and • Rs 3.00 lakh for International event (for organizations/participation of international event within India).
x	Accreditation and Rating of Fruit & Vegetables Nurseries	Rs 1.00 lakh/nursery by Central Nodal Agency (NHB)

5.3.3 Achievements

Under this scheme, NHB has assisted 12 projects/events for Introduction of New Technology, Visit of Progressive Farmers, Horti. Sangam, Organization/Participation in Seminars/ Symposia/ Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries, etc. and released financial assistance amounting to Rs.73.34 lakhs.



NHB, Guwahati participated in 1st Expo one organic North East Show held on 3rd to 5th February, 2023 at Guwahati



NHB, Guwahati participated in 7th Assam International Agri Horti Show held on 17th to 19th December, 2022 at Guwahati

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Fruit Nursery in District Ahmed Nagar-(Maharashtra)



Fruit Nursery in District Kutch (Gujarat)

ACCREDITATION AND RATING OF FRUIT & VEGETABLE NURSERIES



Vegetable Nursery in District Mehsana (Gujarat)



Fruit Plant Nursery in District Srinagar (J&K)

5.4 Market Information Service Scheme for Horticulture Crops

This scheme deals with work of computerization, development of technology package, data feeding, information dissemination through publicity, printed literature local advertisements etc. Scheme provides for engagement of outsourced staff such as Senior Programmer, Programmer, Data Entry Operators and Horticulture Assistants as per need at approved rates under TSG component of MIDH. An amount of Rs. 905.55 lakh has been incurred under the scheme including Mission Management & Administrative Expenses for NHB Centers.

5.5 Horticulture Promotion Services/Expert Services and Strengthening Capability of NHB

Under this component, specialized studies and surveys are carried and study/ survey reports are published for use by targeted beneficiaries. In addition, technical laboratories may be set up or cause to be set up and provide technical services including advisory and consultancy services.

This component is executed by NHB with its own man-power and also with services of outsourced experts and under this scheme, 100% financial assistance is provided through Nodal Organizations viz. NHB itself, State Governments/UTs and Organizations under it, Central Government Organizations/Agencies and other Organizations such as Quality Council of India/ NHRDF, etc.

An amount of Rs 260.63 lakh has been incurred under Horticulture Promotion Service scheme and Rs.1197.13 lakh incurred under Mission Management & Administrative Expenses for Head Office.

HIGHLIGHTS : 2022-23

1. Promotion of Commercial Horticulture

- a) **Commercial Horticulture- Open Cultivation:** 102 commercial horticulture projects of various fruits, spices and aromatic plants in open cultivation conditions in project mode by providing subsidy of Rs. 788.855 lakh involving an area of 1054.17 acres.
- b) **Commercial Horticulture- Protected Cultivation of flowers and Vegetables:** 201 projects of flowers and vegetables under protected conditions by providing subsidy of Rs. 6762.323 lakh involving area of 356.11 acres.
- c) **Support to Post-Harvest Management :**
 - (i) 12 projects for creation of Grading packing units, Pack house, Cold Room etc. with an amount of Rs. 210.741 lakh.
 - (ii) 01 project for creation of primary processing unit with an amount of Rs. 8.75 lakh.
- d) **Supplementary activities:** 13 projects of Mushroom Projects etc. involving a subsidy amount of Rs 377.955 lakh

2. Creation of Cold Storage Capacity

- a) NHB has assisted 63 Cold Storages/CA Stores involving a subsidy amount of Rs. 102.02 Crore for creation of 413741.76 MT capacity.

3. Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture

- a) **Capacity building Programmes:** Organized/supported 12 programmes of various activities viz. Participation in Seminars/Symposia/Exhibitions, Technology Awareness, Mother Plant Nurseries.
- b) **Quality Planting Material:** System of Accreditation and Rating of fruit and vegetable nursery has been started since 2008-09. During the year 2022-23, Board has accredited 252 nurseries.

4. Celebration of Vigilance Awareness Week




5. Celebration of Hindi Pakhwada and Prize Distributions for Hindi Competition



New initiatives taken by NHB during the period of Report :

I. Horticulture Cluster Development Programme

Horticulture Cluster Development Programme (CDP) aims to enable holistic growth and development of identified horticulture clusters to make them globally competitive and entrench them into national and global value chains. This programme is designed to leverage the geographical specialization of horticulture clusters and promote integrated and market-led development of pre-production, production, post-harvest, logistics, marketing and branding activities.



Hon'ble Union Minister of Agriculture and Farmers' Welfare Shri Narendra Singh Tomar launched the Horticulture Cluster Development Programme and Operational Guideline for Horticulture Cluster Development Programme virtually on 31st May 2021 and 29th October, 2021 respectively.

National Horticulture Board (NHB) being Nodal Agency for implementation of the Programme has appointed M/s Grant Thornton Bharat LLP as Programme Management Unit to drive the programme and support in its implementation. Based on field visits and extensive feedback received from various stakeholders of the value chain, Operational Guideline for Horticulture Cluster Development Programme has been prepared and finalized. Further, it has been decided to implement the Pilot Phase of programme initially with shortlisted 12 clusters and the programme will be scaled up to cover all the 55 clusters based on the learnings from the pilot phase.

The clusters of the pilot phase include Shopian (Jammu & Kashmir) and Kinnaur (Himachal Pradesh) for Apple, Lucknow (Uttar Pradesh), Kutch (Gujarat) and Mahbubnagar (Telangana) for Mango, Ananthapur (Andhra Pradesh) and Theni (Tamil Nadu) for Banana, Nasik (Maharashtra) for Grapes, Sepahijala (Tripura) for Pineapple, Solapur (Maharashtra) and Chitradurga (Karnataka) for Pomegranate and West Jaintia Hills (Meghalaya) for Turmeric.

As per the implementation framework stipulated in guideline, Cluster Development Agency (CDA) has been appointed for each identified cluster for undertaking the detailed analysis on gaps and determining the scope for innovative interventions in the clusters. Based on the Cluster Gap Assessment Reports (CGARs) submitted by all CDAs, Request for Proposals (RFPs) were floated/ published by the CDA for selection of Implementing Agencies (IAs) for implementation of different verticals under CDP and one to one meeting with potential IAs were conducted.

With regards to the promotion/ awareness of Programme, National & State level newspaper advertisements were published by the NHB and CDA. Also, one day awareness programme under "**Kisan Bhagidari Prathmikta Hamari**" campaign, "**Krishi Mela**" in clusters and National Level Stakeholders meet were organized.

On the fourth day of ‘**Kisan Bhagidari Prathmikta Hamari**’ campaign under Azadi ka Amrit Mahotsav, a virtual awareness session was organized on 28th April 2022 by the Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare wherein 4000+ attendees including farmers and other stakeholders across India were participated.



Key objective of these campaigns was to generate mass awareness amongst farmers and other stakeholders about various schemes/ programmes including Cluster Development Programme being implemented by the MoA&FW, Animal Husbandry & Dairying and encourage them to avail the benefits.

Also, **Krishi Mela** were organized in clusters during June and Jul'22 for wider outreach of the programme and providing more understanding with regards to its implementation structure.

National Horticulture Board, Ministry of Agriculture and Farmers’ Welfare organized **Consultation Meet 2022** on 9th September 2022. The interactive session included technical input, personal effectiveness facilitation, and hands of experience sharing by the stakeholders involved in the Horticulture Cluster Development Programme.



In response to the Request for Proposals (RFPs) was published for the selection of Implementing Agencies in all the Clusters till 31.03.2023, Implementing Agencies have been finalized for the implementation of projects in five (5) Clusters i.e., M/s Desai Agrifoods Private Limited for Ananthapur (Banana), M/s Prasad Seeds Private Limited for Mahabubnagar (Mango), M/s FIL Industries Private Limited for Shopian (Apple), Ms Sahyadri Farms Post Harvest Care Limited for Nashik (Grape) and M/s Meghalaya Basin Management Agency for West Jaintia Hills (Turmeric) during Approval Committee Meeting held on 17.01.2023. Remaining seven (7) clusters are

in progress.

The concerned CDAs and selected IAs of 5 clusters were then invited to the India Cold Chain Conclave held in New Delhi on 19th January 2023 and were awarded their Acceptance Letters by Shri Manoj Ahuja, IAS, Secretary, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare.



Nashik (Grape)

West Jaintia Hills (Turmeric)

Shopian (Apple)



Ananthapur (Banana)

Mahabubnagar (Mango)

A total investment of approximately Rs. 670 Crore has been approved for these 5 projects, which includes private contribution of approximately Rs. 400 Cr and financial assistance of approximately Rs. 270 Crore for their implementation.

As the implementation shall be commenced in 5 clusters, CDP-SURAKSHA (Cluster Development Programme - System for Unified Resource Allocation Knowledge and Secure Horticulture Assistance) Portal is being developed by M/s Grant Thornton being PMU to monitor, documentation, management, and fund disbursement processes within the Horticulture Cluster Development Programme. Portal shall facilitate streamlined collaboration, enhanced operations, and informed decision-making among stakeholders. Additionally, the integration of GIS and geo-tagging capabilities shall provide a comprehensive understanding of the horticulture clusters, aiding in identifying growth areas and assessing resource utilization.

Annexure-I

Objectives of the National Horticulture Board

- i) Development of hi-tech commercial horticulture in identified belts and make such areas vibrant with horticultural activity, which in turn will act as hubs for development of horticulture
- ii) Development of modern post-harvest management infrastructure as an integral part of area expansion projects or as common facility for cluster of projects
- iii) Development of integrated, energy efficient cold chain infrastructure for fresh horticulture produce,
- iv) Popularization of identified new technologies / tools / techniques for commercialization / adoption, after carrying out technology and need assessment
- v) Assistance in securing availability of quality planting material by promoting setting up of scion and root stock banks / mother plant nurseries and carrying out accreditation / rating of horticulture nurseries and need based imports of planting material.
- vi) Promotion and market development of fresh horticulture produce.
- vii) Promotion of field trials of newly developed/imported planting materials and other farm inputs; production technology; PHM protocols, INM and IPM protocols and promotion of applied R&D programmes for commercialization of proven technology.
- viii) Promotion of Farm Mechanization in Horticulture through demonstration and its uses at farmers field level to reduce labour cost and increase the productivity of Horticulture crops.
- ix) Promotion of applied R & D for standardizing PHM protocols, prescribing critical storage conditions for fresh horticulture produce, bench marking of technical standards for cold chain infrastructure etc.,
- x) Transfer of technology to producers/farmers and service providers such as gardeners, nurserymen, farm level skilled workers, operators in cold storages, work force carrying out post harvest management including processing of fresh horticulture produce and to the master trainers.
- xi) Promotion of consumption of horticulture produce and products.
- xii) Promoting long distance transport solution for bulk movement of horticulture produce through rail etc.,
- xiii) Carrying out studies and surveys to identify constraints and develop short and long term strategies for systematic development of horticulture and providing technical services including advisory and consultancy services.

Annexure-II

List of the Board of Directors of National Horticulture Board (as on 31.03.2023)

Sr. No.	Name, Designation, Telephone No. and E-mail ID of Official Member	Status
1	Shri Narendra Singh Tomar, Hon'ble Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23383370/23782691/ 23384129 Email: am.krishi@nic.in	President (Ex-officio)
2	Ms. Shobha Karandlaje, Hon'ble Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23782343/23782565 Email: mos.krishi@nic.in	Vice-President (Ex-officio)
3	Secretary, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382651/ 2338444 Email: secy-agri@nic.in	Member (Ex-officio)
4	Director General Indian Council of Agriculture Research, Krishi Bhawan, New Delhi Ph: 011-23382629-476/ 25841976/23386711/ 25843190 (R) Email: dg.icar@nic.in	Member (Ex-officio)
5	Addl. Secretary & Financial Advisor, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381363/23382532 Email: asfa-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
6	Addl. Secretary (Hort), Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381503 Email: ascc-agri@nic.in	Member (Ex-officio)

7	Joint Secretary & Mission Director, Mission for Intergraded Development of Horticulture (MIDH) Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23382444/ 23073779 Email: jsmidh-agri@gov.in	Member (Ex-officio)
8	Horticulture Commissioner, Department of Agriculture & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, Krishi Bhavan, New Delhi Ph: 011-23381012/23383712 Email: hortcommissioner@gmail.com / hort.comm-agri@agri.gov.in	Member (Ex-officio)
9	Adviser (Agriculture), Niti Ayog, New Delhi Ph: 011-23096630 2598 Mob-9868060359 Email: adviser.agri-pc@nic.in neelam.patel@gov.in	Member (Ex-officio)
10	Chairman, Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), Siri Institutional Area, 3rd Floor, NCUI Building, August Kranti Marg, New Delhi Ph: 011-26513167 Email: chairman@apeda.gov.in	Member (Ex-officio)
11	Shri Bala Shiva Prasath D 2/224, Gudisetlu Gate Thummanapalli Post, Tehsil- Hosur, Dist- Krishnagiri, Tamil Nadu (Mobile: 09095076347) Email: balashivaprasath@gmail.com	Non-Official Member
12	Shri Jagdish Baishwar Vill & Post- Purvi Parasi, Renusagar Thana-Anpara, Sonbhadra (UP) Email : jagdishprashadbiashwar@gmail.com 8840088781, 9838187201	Non-Official Member
13	Shri Amit Singh Chauhan Vill-Belag, Post-Jhiknipul, Tehsil- Chaupal Dist-Shimla, Himachal Pradesh Mobile : 09654262690, 7018341590, 0177-2622772 amitchauhan417@gmail.com	Non-Official Member

14	Shri Manik Gangadhar Patil At Post Khedgaon, Near Irrigation Colony Gangasagar Bungalow, Tal-Dindori Dist- Nashik (Maharashtra) Mobile : 09225118679 (Email : mgsgrapes@gmail.com)	Non-Official Member
15	Managing Director, National Horticulture Board Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India, 85, Institutional area, Sector -18 Gurugram 122015(Haryana) Ph: 0124-2342992, 2347441,2342989-90 Email : md@nhb.gov.in	Member Secretary (Ex-officio)

Annexure-III

The Managing Director is the Principal Executive of the National Horticulture Board Sh. Priya Ranjan was the Managing Director of the Board during 01.04.2022 to 31.03.2023. The Managing Director is assisted by Technical and Administrative Divisions. The total regular sanctioned posts in the Board are 155.

Details of Sanctioned, Filled and vacant posts as on 31.03.2023

S. No.	Name of the post	Pre-revised pay scale & Grade Pay		As per 7th CPC Pay Level & Pay Matrix		Present Position		
		Scale of Pay	Grade Pay	Pay Level	Pay Matrix	No. of posts sanctioned	Filled	Vacant

Group 'A'

1	Managing Director	37400-67000	10000	14	144200-218200	1	-	1
2	Deputy Managing Director	37400-67000	8900	13-A	131100-216600	1	1	-
3	Director (Personnel)	15600-39100	7600	12	78800-209200	1	-	1
4	Joint Director	15600-39100	6600	11	67700-208700	5	5	-
5	Joint Director (F&A)	15600-39100	6600	11	67700-208700	1	-	1
6	Deputy Director	15600-39100	5400	10	56100-177500	30	23	7
7	Deputy Director (IS)	15600-39100	5400	10	56100-177500	1	1	-
	Total					40	30	10

Group 'B'

1	Accounts Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
2	O. L. Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	1	1	-
3	Sr. Administrative Officer	9300-34800	4600	7	44900-142400	3	3	-
4	Technical Officer (Computer)	9300-34800	4600	7	44900-142400	2	2	-
5	Jr. Translation Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	1	-
6	Sr. Horticulture Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	18	2	16
7	Administrative Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	1	-	1
8	Sr. Accountant	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
9	Horticulture Officer	9300-34800	4200	6	35400-112400	17	-	17
10	Jr. Accountant	9300-34800	4200	6	35400-112400	2	2	-
	Total					48	14	34

Group 'C'

1.	Personal Executive	5200-20200	2400	4	25500-81100	5	1	4
2.	Computer Executive	5200-20200	2400	4	25500-81100	7	6	1
3.	Lower Division Clerk	5200-20200	1900	2	19900-63200	5	3	2
4.	Hindi Typist	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
5.	Driver	5200-20200	1900	2	19900-63200	3	-	3
6.	Electrician	5200-20200	1900	2	19900-63200	1	1	-
7.	Messenger/MTS	5200-20200	1800	1	18000-56900	40	30	10
8.	Budder Graftor	5200-20200	1800	1	18000-56900	5	4	1
Total						67	46	21

Detail

S. No.	Group	Post Sanctioned	Filled	Vacant
1.	Group "A"	40	30	10
2.	Group "B"	48	14	34
3.	Group "C"	67	46	21
	Total	155	90	65

In addition 17 nos. of Temporary Status (Messenger/MTS) in the pay band of Rs. 5200-20200 + grade Pay of Rs. 1800/- are in position.

Annexure-IV

List of Field Offices of National Horticulture Board along with their Complete Address

Sr. No.	State	Name & Address of the Centers
1	Andhra Pradesh	National Horticulture Board Indira Gandhi Municipal Stadium Complex, 1st Floor, Gate No 03, Labbipet Baudar Road , Vijayawada-520010 (AP) Tele/fax: 0866-2473351 Email: ap.nhb@gov.in
2	Assam	National Horticulture Board Chhibber House, 4th Floor, Dispur P.O., Guwahati-781 005 Tele/Fax :0361-2343719, 2340695 E-mail : assam.nhb@gov.in
3	Bihar	National Horticulture Board Verma Centre, Room No 501, 502, 5th Floor, Boring Canal Road, Patna-800 001, Tele/Fax :0612-2541218,2541128 E-mail : bihar.nhb@gov.in
4	Chandigarh	National Horticulture Board S.C.O. 85, 2nd Floor, Sector - 40-C Chandigarh-160 047 Tele/Fax :0172-2625249, 2625269 E-mail : chd.nhb@gov.in
5	Chhattisgarh	National Horticulture Board H. No. 42, First Floor, Jal Vihar Colony, Near Rotary Club of India, Telibandha Raipur-492001 Tele/Fax :0771-2423992 E-mail : cg.nhb@gov.in
6	Delhi	National Horticulture Board 19-22, (Garage) Krishi Bhawan New Delhi-110001 Tele/Fax 011-23097015,23073019 E-mail : delhi.nhb@gov.in
7	Gujarat	National Horticulture Board 416 Devnandan, Opp. Sanyas Ashram, Ellis Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380006 (Gujarat) Tele/Fax :079-29705413, 26585413 E-mail : gj.nhb@gov.in

8	Himachal Pradesh	National Horticulture Board HPMC, 2nd Floor, Nigam Vihar, Shimla-171 002, Tele/Fax: 0177-2622908/2623801 E-mail : hp.nhb@gov.in
9	Jammu & Kashmir (Srinagar)	National Horticulture Board Horticulture Complex Rajabagh Srinagar-190008 Tele Fax 0191-2474349 (PP), E-mail : jk.nhb@gov.in
10	Jammu & Kashmir (Jammu)	National Horticulture Board Hall No 307, A-2, 3rd Floor South Block, Bahu Plaza Rail Head Complex, Jammu-180 004 Tele/Fax : 0191-2474349, 2474112 (E-mail: jk.nhb@gov.in)
11	Jharkhand	National Horticulture Board Laxmi Niwas, Krishi Bhawan, Kankey Road, Ranchi-834 008 Tele/Fax : 0651-2230132,2233832 E-mail : jh.nhb@gov.in
12	Karnataka	National Horticulture Board No.14/43, 2nd Floor, 1 & 2 Stage Industrial Suburb, Tumkur Road, Yeshwantpur, Bangalore-560 022 Tele/Fax 080-23371935, 23374149 (E-mail : ktk.nhb@gov.in)
13	Kerala	National Horticulture Board No. UR-10, Uppalam Road, Statue, Thiruvananthapuram-695001 Tele/Fax : 0471-2470505, 2470506 E-mail : kerala.nhb@gov.in
14	Madhya Pradesh (Bhopal)	National Horticulture Board R-24, 2nd Floor, Near Hindustan Times MP Nagar, Zone-1, Bhopal – 462011 Tele/Fax :0755 –2761741 Email: mp.nhb@gov.in
15	Madhya Pradesh (Gwalior)	National Horticulture Board Agriculture Campus, Opposite Mela Ground, Race Course Road, Gwalior-474002 Ph. 0751-2930606 Email : gwlr.nhb@gmail.com

16	Maharashtra (Navi Mumbai)	National Horticulture Board Room No. 317, 4th Floor Central Facility Building, APMC Fruit Market Complex, Sector-19, Turbhe Vashi, Navi Mumbai- 400703 Tele/Fax 022-27830107 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
17	Maharashtra (Nagpur)	National Horticulture Board 401, 4th Floor, Lotus Plaza, Near Lakshmi Bhavan, Old Post Office Road. Gokulpeth, Nagpur-440 010 Tele/Fax: 0712-2525030, 2523110 E-mail : mh.ngp.nhb@gov.in
18	Maharashtra (Nashik)	National Horticulture Board S. C. Panwar Market Yard, Commercial Complex No. 1, Peth Road Panchwati, Nashik-422003 Tele/Fax : 0253-2974558, 2533715 E-mail : mh.nsk.nhb@gov.in
19	Maharashtra (Pune)	National Horticulture Board MCAER Building 132/B, Bhamburda Bhosale Nagar, Pune-411 007 Tele/Fax : 020-25528582/83 E-mail : mh.pune.nhb@gov.in
20	Odisha	National Horticulture Board N-1/7, I.R.C. Village, Nayapalli, Opp. CRPF Gate Bhubaneshwar- 751015 Tele/Fax :0674-2558134,2559620 Email : odisha.nhb@gov.in
21	Rajasthan	National Horticulture Board Second Floor, Modak Priyay, Plot No. 16 & 17, Near New, Atish Market, Shipra Path, Mansarovar, Jaipur 302 020 Tele/Fax :0141-2399405, 2390818 E-mail : rj.nhb@gov.in
22	Sikkim	National Horticulture Board Chang Choop Building, Near Nayuma Television, Tibet Road, Gangtok-737 101 Tele/Fax :03592-208453,220975 E-mail : sikkim.nhb@gov.in

23	Tamilnadu	National Horticulture Board Module No.37, 2nd Floor, SIDCO Readymade Garment Complex, Industrial Estate Guindy, Chennai-600 032 Tele/Fax : 044-22501151/22500965 E-mail : tn.nhb@gov.in
24	Telengana	National Horticulture Board No.2, 5-9-195, William Niwas, Chirag Ali Lane, ABIDS, Hyderabad-500 001 Tele/Fax : 040-23200806, 23201140 E-mail : ts.nhb@gov.in
25	Uttar Pradesh (Lucknow)	National Horticulture Board C/o, Director of Horticulture 2, Sapru Marg Udyan Bhawan Lucknow-226001 Tele/Fax 0522-2623374/2202420,4072096 E-mail: up.lko.nhb@gov.in
26	Uttar Pradesh (Varanasi)	National Horticulture Board 2nd floor, C.T.O Building Taar Ghar (BSNL) Cantt, Nadesar, Varanasi - 221002. Phone 0542-2508756 E-mail : up.var.nhb@gov.in
27	Uttar Pradesh (Baraut)	National Horticulture Board C/o Regional Institute of Rural Development, Delhi-Saharanpur Road, Baraut- 250611 E-mail : up.var.nhb@gov.in
28	Uttrakhand	National Horticulture Board Naveen Sabzi Mandi Ashthal, Krishi Utpadan Mandi Samiti, Niranjanpur, Dehradun- 248171 Tele/Fax 0135-2761922, 2762767, 2725517 E-mail : uk.nhb@gov.in
29	West Bengal	National Horticulture Board Mayukh Bhawan, 2nd Floor, Salt Lake, Sector-II Kolkata -700091 Tele/Fax: 033-29861049, 23211259 E-mail : wb.nhb@gov.in

ANNUAL ACCOUNTS OF THE NATIONAL HORTICULTURE BOARD FOR THE YEAR 2022-23



भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चंडीगढ़

Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए.(सी)के.व्यय/SAR NHB/2022-23/23-24/1105

दिन/Date: १९.१०.२०२३

सेवा मे,

सचिव,

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(Minstry of Agriculture and Farmers Welfare),
भारत सरकार,
कृषि भवन,
नई दिल्ली - 110001

विषय: National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2022-23 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या National Horticulture Board, Gurugram के वर्ष 2022-23 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलग्न पायें। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएँ।

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

-८५८-

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपि वर्ष 2022-23 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध निदेशक, National Horticulture Board, 85, Institutional Area, Sector 18, Gurugram 122015 को प्रेषित की जाती है।

भवदीय,

उप-निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

Separate Audit Report of the Comptroller and Auditor General of India on the Accounts of the National Horticulture Board, Gurugram (Haryana) for the year ended 31st March 2023.

We have audited the Balance Sheet of the National Horticulture Board, Gurugram (Haryana) as on 31 March 2023, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act. These financial statements are the responsibility of the Board's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account/Receipt and Payment Account dealt with by this Report have been drawn up in the Uniform format of Accounts prescribed by the Ministry of Finance.

- iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Board in so far as it appears from our examination of such books.
- iv) We further report that:

A. Income and Expenditure Account
Grants / Subsidies – ₹21830 lakh

The above includes grants sanctioned in the FY 2022-23 amounting to ₹21830 lakh. As per Utilisation Certificates, grant utilised during the year was ₹20931.84 lakh. According to the Accounting Standard, the amount of ₹20931.84 lakh should be taken in the Income but the amount of ₹21830 lakh was taken in the Income and Expenditure Account. This has resulted overstatement of Income by ₹898.16 lakh and understatement of Current Liabilities by ₹898.16 lakh.

B. General

Rule 211 of General Financial Rules (GFR), 2017 prescribes different set of formats for maintaining Fixed Asset Register. Under this provision Fixed Asset Register to be maintained in Form GFR-22. Though NHB Bhubaneswar maintained the Fixed Asset Register, but the same was not maintained in the proper format.

C. Position of Grant-in-Aid

The position of grants received and utilised for the year 2022-23 is as under:

(₹ in lakh)

Name of the Grant	NHB	NHM	NBM	NMS	Total
Opening balance	4926.31	58.10	12.87	44.93	5042.21
Unspent funds received	722.15	2.24	0.28	1.24	725.91
Grants received	21830.00	260.00	13.89	0.00	22103.89
Total grants	27478.46	320.34	27.04	46.17	27872.01
Expenditure incurred	20931.84	265.01	13.81	0.00	21210.66
Funds refunded to GOI	301.76	0.89	0.48	0.00	303.13
Closing balance	6244.86	54.44	12.75	46.17	6358.22

v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and other significant matters above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Horticulture Board, Gurugram as at 31st March 2023; and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India,



Director General of Audit (Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 19.10.2022

Annexure to Audit Report

1. Adequacy of Internal Control:

- i. The cash balance of NHB, Ranchi was not reconciled and there was a difference of ₹296.
- ii. No Accounting Manual has been prepared by the Board till date.
- iii. Management committee could conduct only two meetings against the norms of four meetings in a financial year.

2. Adequacy of Internal Audit

Internal Audit Wing is established in the Head Office of the Board.

3. Physical Verification of Fixed Assets


Physical Verification has been conducted up to 2022-23.

4. Physical verification of Inventory

Physical verification of Inventory and library books for the year 2022-23 has been conducted. However, NHB Bangalore has not conducted the Annual physical verification of inventories and library books for the year 2022-23.

5. Regularity in payment of statutory dues

The Board is regular in depositing of statutory dues.



Deputy Director

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2023**

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
CORPUS/ CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
CORPUS / CAPITAL FUND	1	2,412,837,386	2,206,894,088
RESERVES AND SURPLUS	2	-	-
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	3	11,336,088	11,589,439
SECURED LOANS AND BORROWINGS	4	-	-
UNSECURED LOANS AND BORROWINGS	5	-	-
DEFERRED CREDIT LIABILITIES	6	-	-
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	7	390,638,623	384,062,916
TOTAL		2,814,812,097	2,602,546,443
ASSETS			
FIXED ASSETS	8	33,787,460	32,810,810
INVESTMENTS- FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	9	-	-
INVESTMENTS - OTHERS	10	-	-
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	11	2,781,024,637	2,569,735,633
MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		2,814,812,097	2,602,546,443
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023**

(Amount in ₹.)

PARTICULARS	SCH No.	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
INCOME			
Income from Sale & Services	12	20,495,536	18,995,637
Grants/ Subsidies	13	2,183,000,000	1,068,200,000
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Invest. From earmarked/ endow. Funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	118,696,211	103,605,636
Other Income	18	3,968,876	1,198,373
Increase/ (Decrease) in stock of finished goods and WIP	19	-	-
TOTAL (A)		2,326,160,623	1,191,999,646
EXPENDITURE			
Establishment expenses	20	89,870,308	93,906,694
Other Administrative Expenses etc.	21	22,343,858	18,659,650
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	22	1,980,382,759	664,064,534
Interest	23	-	-
Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	12A	32,865,874	30,256,205
Depreciation (Net total at the year end - corresponding to Sch 8)	8	5,248,401	4,872,381
TOTAL (B)		2,130,711,200	811,759,464
Balance being excess of Income over Expenditure (A - B)			
- For the Funds other than Cost of application & Processing Fee		207,819,761	391,500,751
- Cost of application & processing Fee		(12,370,338)	(11,260,568)
Transfer to Provision for Doubtful Debts(Reverse)			
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR OTHER THAN APPLICATION FORM AND SCHEME BROCHURE AMOUNT		207,819,761	391,500,751
BALANCE BEING SURPLUS/ (DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND FOR APPLICATION & PROCESSING FEE		(12,370,338)	(11,260,568)
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	24		
CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS	25		

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2023

(Amount in ₹.)

	RECEIPTS	2022-23		2021-22		Current Year	Previous Year	PAYMENTS	I. Expenses (from the Budget of Mission Management & Administrative Expenses)	2022-23	2021-22
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year						
I.	<u>Opening Balances</u>										
a)	Cash in hand	75,829	68,876	a)	Establishment Expenses - HO				93,828,451	93,681,389	
b)	Bank Balances			b)	Administrative Expenses - HO				22,539,879	18,510,936	
i)	in current accounts	-	-								
ii)	in deposit accounts	1,233,800,000	1,174,100,000	II.	Payments made against funds for Various Schemes						
iii)	in saving accounts	567,968,125	360,553,825								
iv)	in deposit accounts (processing fee /Cost of Application form & scheme brochure A/c)			i)	Development of Commercial Horticulture through Production and Post - Harvest Management						
		427,900,000	417,900,000		-Subsidy				817,041,548	269,999,500	
II.	<u>Grants Received</u>				- Legal & Professional Charges				174,000	57,000	
a)	From Government of India			Total					817,215,548	817,215,548	
i)	For NHB schemes			ii)	Capital Investment Subsidy for Constrn/Modernization/ Expansion of Cold Storage and Storages for Hort. Produce				1,026,537,500	1,026,537,500	265,311,300
	- From NHB Budget	1,783,000,000	968,200,000	iii)	Technology Development and Trf for Promotion of Horticulture				7,333,644	7,333,644	4,976,292
ii)	For NHM schemes :			iv)	Market Information Services for Horticulture Crops				168,700	168,700	702,100
	- For TSG component	26,000,000	17,000,000	v)	Horticulture Promotion Services/Expert Services				26,062,877	26,062,877	26,048,212
				vi)	Mission Management & Administrative Expenses				-	-	
iii)	For NBM schemes	1,388,849	-	a)	Establishment Expenses - Centres				60,254,176	54,236,661	
				b)	Administrative Expenses - Centres				29,501,989	22,841,037	
b)	From State Government	-	-	Total					89,756,165	89,756,165	
III.	<u>Income on Investments from</u>			vii)	National Bamboo Mission (Support Services)				1,381,354	543,089	
a)	Earmarked/Endow. Funds	-	-	viii)	National Horticulture Mission (TSG)				26,500,938	16,083,569	
b)	Own Funds (other Investment)	-	-	ix)	Expenses For International Hort. Expo Floriade 2022				5,766,567	16,577,154	

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2023						(Amount in ₹)	
	RECEIPTS	2022-23		PAYMENTS		2021-22 Current Year Previous Year	2022-23 Current Year Previous Year
		2022-23 Current Year	2021-22 Previous Year				
IV. Interest Received							
a) On Bank deposits & Saving Bank Accounts for							
-NHB Funds	86,944,853	77,021,375	III. Investments & Deposits made				
-Application Funds	24,738,462	22,638,183	a) Out of Earmarked/Endowment funds				
-NHM Funds	123,691	86,298	b) Out of Own funds (Investments-Others)				
-NBM Funds	28,603	50,113					
-National Mission on Saffron Funds	124,941	133,561	IV. Expenditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress				
			a) Purchase/Additions to Fixed Assets				
b) Loans, Advances etc. (Penal Intt.)	1,800,221	-	i) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - HO			3,344,558	1,876,000
			ii) From the Budget of Mission Management & Administrative Expenses - Centre			629,952	219,330
V. Other Income (Specify)							
Rent from IOB	761,556	1,088,823	b) Expenditure on Capital Work-in-Progress			-	-
Cost of Application form & scheme brochure	20,495,534	18,995,637					
Misc. Receipts	304,369	993,214	V. Refund of Surplus money/Loan				
Earnest Money Deposit - NHB	225,000	700,000	a) To the Government of India			-	-
Security Deposit	6,345	50,054	- Department of Agricultural & Coop				
Bank Charges - Saffron Park	-	118	- from Internal Accruals			30,175,793	18,591,504
			- from Grant in Aid				
VI. Amount Borrowed	-	-	- to MoFPI			-	-
			b) To the State Government			137,555	436,028
VII. Any other receipts (give details)			c) To the other providers of funds			-	-
a) Recovery of advances (Incl. Intt.)	167,921	41,197					

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2023

(Amount in ₹.)

	RECEIPTS	2022-23		2021-22		2022-23 Current Year	2021-22 Previous Year	2022-23 Current Year	2021-22 Previous Year
		Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year				
b) Recovery of Loan under NHB Scheme	1,199,779	-	VI. TDS DEDUCTED AT SOURCE BY BANK			84,142	6,621,474		
c) Unspent funds received back from beneficiaries under various schemes to whom funds were released in previous years under NHB Schemes			VII. Other Payments (Specify)						
- For NHB Schemes	48,639,795	14,570,676	Advance to Staff						
- For NHM	118,879	-	Earnest money refunded - NHB			350,000	177,000		
d) Recovery from Others	-	78,876	Earnest money refunded - Saffron Park						
e) Receipt of TDS/GST	522,484	-	Prepaid Expenses			193,074	-		
			Expenditure on behalf of NCCD, DWD & NOVOD Board			846,715	2,066,746		
VIII. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK - NHB	5,109,680	13,964,241	Security Deposit						
IX. REFUND OF TDS DEDUCTED BY BANK (Application Fee)	4,635,404	2,661,652	Amount Receivable			42,104	-		
X. NOVOD Board	-	2,458,718	Payment to others					1,089,745	
XI. DWD	148,443	284,911	VIII. Payments from Cost of Application Form & Scheme brochure						
XII. NCCD	4,527,138	-	- Payment to Contractual Data Entry Operators			15,258,884	13,396,230		
			- Scrutiny fees cold storage			2,025,938	2,525,200		
			- Travelling Expenses & consultancy fees of Experts			318,162	73,091		
			- Payment for Office & Advertisement Expenses			1,533,716	3,938,835		
			- AMC Website & software			4,080,748	4,814,400		
			- Bank Charges			422,986	393,023		
			- Pay and Allowances (30%)			9,436,062	6,238,698		
			- Payment for Leasehold shops			643,926	484,038		
			- Fixed Assets			4,361,456	11,386,814		
			- Legal & Professional Charges			70,800	-		
			IX. Closing Balances						
			a) Cash in Hand			12,501			
			At Head Office						

NATIONAL HORTICULTURE BOARD RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.3.2023

(Amount in ₹)

RECEIPTS	2022-23		2021-22		PAYMENTS		2022-23	Current Year	Previous Year
	Current Year	Previous Year							
			At NHB Centres				113,560	126,061	75,829
b) Bank Balances									
i) In current accounts									
ii) In deposit accounts (NHB's internal accrual amount)							1,294,700,000	1,233,800,000	
iii) in deposit accounts (processing fee Amount)/Cost of Application form & Scheme broucher							433,400,000	427,900,000	
iv) in Saving accounts									
			-At NHB Centres - Imprest amount				10,735,786		
			- At Head Office						
			- For NHB Schemes & internal accruals				275,041,917		
			- For Cost of Application form & Scheme brochure				24,409,074		
			- For NHM Schemes				5,276,860		
			- For NBM Schemes				985,520		
			- For National Mission on Saffron				4,596,662		
			- For NHM Delhi centre				152,545		
			- For NBM Delhi centre				283,283	321,481,646	567,968,125
			Total	3,093,640,349	Total		4,240,755,901	3,093,640,349	
Total	4,240,755,901	3,093,640,349							

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director
Deputy Managing Director
Accounts Officer

Receipt & Payment Account Establishment Expenses for the year 2022-23

(Amount in ₹.)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
1	EPF Board' contribution	12,093,853	11,570,201
2	Leave Encashment	10,046,431	8,959,530
3	LTC Claim	262,127	272,842
4	Medical Reimbursement	3,689,734	4,198,783
5	Pay & Allowance	53,966,823	53,412,793
6	Staff Welfare	388,824	284,661
7	Bonus & other allowance	16,730	2,000
8	Children Education Allowance	692,160	729,000
9	Payment to consultant	1,437,206	469,247
10	Gratuity Paid During The Year	11,234,563	13,782,332
	TOTAL	93,828,451	93,681,389

Administrative Expenses for the year 2022-23

(Amount in ₹)

Sr. No.	Particulars	2022-23	2021-22
1	Electricity & Water Charges	1,416,290	1,481,132
2	Generator Running & Maintenence	721,109	646,189
3	Insurance	29,891	27,800
4	Repair & Maintenance	1,564,587	653,451
5	Security Charges & House Keeping Exp.	6,922,149	6,496,702
6	Vehicle Running & Maintenence	139,676	18,462
7	Postage, Telephone & Communication Charges	549,295	636,997
8	Printing & Stationary	2,183,426	1,525,332
9	Conveyance & Travelling	2,749,680	1,549,527
10	Newspaper & Periodicals	19,060	18,414
11	Office Expenses	488,407	268,849
12	Expenses on Meeting & Entertainment	188,153	74,267
13	Auditor Remuneration & Fees	1,584,340	1,133,929
14	Legal & Professional Charges	2,468,020	2,436,672
15	Advertisement & Publicity	274,626	612,728
16	Photocopy Charges	986,633	602,148
17	Property Tax	147,015	176,418
18	Covid 19 Expenses	-	68,918
19	Bank Charges	4,341	4,193
20	Rajbhasha Promotion Expense	103,180	78,809
	TOTAL	22,539,879	18,510,936

**NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2023**

SCHEDULE -1

(Amount in ₹.)

CORPUS/ CAPITAL FUND :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
Balance as at the beginning of the year				
a. For the Funds other than Processing Fee and Application form account	1,746,019,540		1,380,727,446	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	207,819,761		391,500,751	
Add: Reversal/(cancel) of Stale Cheques				
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at centre)				
Add: Unspent/excess grant of prior years received back(at Head Office)	48,639,795		14,570,676	
Less: Funds Remitted to Government of India	14,570,676		2,307,186	
Less: Income tax refund /TDS			-	
Less: Other Recoverable			-	
Less: Interest Payable to DAC & FW	23,575,245		15,605,117	
Less: Interest earned on Processing & Application fee	24,924,544	1,939,408,632	22,867,029	1,746,019,540
b. For Processing & Application Fee Account	460,874,548		449,268,087	
Add : Income tax refund/TDS			-	
Add : Other Recoverable			-	
Add : Interest earned on Processing & Application fee	24,924,544		22,867,029	
Add/ (Deduct): Balance of net income/ (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	(12,370,338)	473,428,754	(11,260,568)	460,874,548
BALANCE AT THE YEAR END		2,412,837,386		2,206,894,088

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -2

(Amount in ₹.)

RESERVES AND SURPLUS :	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Capital Reserve :				
As per last Account	-		-	-
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
2. Revaluation Reserve :				
As per last Account	-		-	-
Additions during the year				
Less: Deductions during the year				-
3. Special Reserves :				
As per last Account	-		-	-
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
4. General Reserve :				
As per last Account	-		-	-
Additions during the year				
Less: Deductions during the year		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD
GURUGRAM
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET
AS AT MARCH 31, 2023

SCHEDULE -3

(Amount in ₹.)

EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	FUND-WISE BREAK-UP			TOTAL	
	NHM Scheme	NBM Scheme	National Mission on Saffron	Current Year	Previous Year
a. Opening balance of the funds	5,810,538	1,286,622	4,492,278	11,589,439	11,379,578
Opening balance of the funds-EMD					
b. Additions to the Funds					
i. Grants/ Donations	26,000,000	1,388,849	-	27,388,849	17,000,000
ii. Income from funds (Interest on Saving a/c)	105,002	28,949	124,816	258,768	272,429
iii. Unspent funds of previous year received back	118,879	-	-	118,879	-
TOTAL (a + b)	32,034,419	2,704,421	4,617,095	39,355,935	28,652,007
c. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds					
i. Capital Expenditure :					
- Fixed Assets	1,350,825	-	-	1,350,825	245,110
- Grants released for projects	-	-	-	-	-
	1,350,825	-	-	1,350,825	245,110
ii. Revenue Expenditure :					
- Salaries, Wages and allowances etc.	9,365,388	646,416	-	10,011,804	10,173,204
- Bank Charges	320	275	-	595	(431)
- Other Administrative expenses - TSG	15,784,405	734,663	-	16,519,068	6,208,657
- Refund to MFPI/HMNEH/DAC	89,455	48,100	-	137,555	436,028
Total	25,239,568	1,429,454	-	26,668,427	16,817,458
Grant Total	26,590,393	1,429,454	-	28,019,847	17,062,568
NET BALANCE AS AT THE YEAR END (a+b-c)	5,444,026	1,274,967	4,617,095	11,336,088	11,589,439

Note : Above net balances includes accrued interest.

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -4

(Amount in ₹.)

SECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -5

(Amount in ₹.)

UNSECURED LOANS AND BORROWINGS:	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government		-		-
2. State Government (Specify)		-		-
3. Financial Institutions				
a. Term Loans		-		-
b. Interest accrued and due		-		-
4. Banks:				
a. Term loans				
- Interest accrued and due		-		-
b. Other loans (specify)				
- Interest accrued and due		-		-
5. Other Institutions and Agencies		-		-
6. Debentures and Bonds		-		-
7. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

Note: Amounts due within one year

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -6

(Amount in ₹.)

DEFERRED CREDIT LIABILITIES:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b. Others	-	-
TOTAL	-	-

Note: Amounts due within one year

SCHEDULE -7

(Amount in ₹.)

CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors:		
a. For Goods	-	-
b. Others	-	-
3. Advances Received		
4. Interest accrued but not due on:		
a. Secured loans/ borrowings	-	-
b. Unsecured loans/ borrowings	-	-
		-
5. Statutory Liabilities:		
a. Overdue	-	-
b. Others	-	-
		-
6. Other current liabilities	47,550,471	30,962,161
TOTAL (A)	47,550,471	30,962,161
B. PROVISIONS		
1. For Taxation		
2. Gratuity	89,829,085	94,562,553
3. Superannuation/ Pension		
4. Accumulated leave Encashment	60,009,264	64,088,620
5. Trade Warranties/ Claims		
6. Others - Doubtful Debts	193,249,803	343,088,152
TOTAL (B)	343,088,152	353,100,755
TOTAL (A+B)	390,638,623	384,062,916

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD

GURUGRAM

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2023

SCHEDULE -8

(Amount in ₹.)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION		NET BLOCK				
	Cost As at beginning of the Year	Additions during the year Before 30 th sep.	After 30 th sep.	Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Current year end	Previous year end
A. FIXED ASSETS										
(I) FROM GRANT-IN-AID										
LAND:										
a. Freehold	3,139,088	-	-	-	3,139,088	-	-	-	3,139,088	3,139,088
b. Leasehold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BUILDINGS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. On freehold land	22,871,006	-	-	-	22,871,006	20,034,828	283,618	-	2,552,560	2,836,178
b. On leasehold land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c. Ownership Flats/ premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Superstructures on land	162,742	-	-	-	162,742	141,857	2,088	-	18,797	20,885
PLANT MACHINERY & EQUIPMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VEHICLES	822,181	-	-	-	822,181	703,075	17,866	-	101,240	119,106
FURNITURE & FIXTURES	18,556,493	46,406	511,553	499,858	18,614,594	13,339,567	544,985	430,605	5,160,647	5,216,926
OFFICE EQUIPMENT	21,787,030	152,397	1,085,229	502,335	22,522,321	17,084,541	802,641	455,768	5,090,907	4,702,489
COMPUTER PERIPHERALS	18,121,512	1,006,938	1,265,297	521,792	19,871,955	16,933,223	1,129,914	518,702	2,327,520	1,188,289
LIBRARY BOOKS	2,469,686	25,600	-	-	2,495,286	2,309,141	74,458	-	111,687	160,545
TUBEWELLS & WATER SUPPLY	85,040	-	-	-	85,040	84,904	20	-	116	136
TOTAL	88,014,778	1,231,341	2,862,079	1,523,985	90,584,213	70,631,136	2,855,590	1,405,075	18,502,562	17,383,642
(II) FROM PROCESSING FEE AND APPLICATION FORM & SCHEME BROCHURE FEE AMOUNT										
BUILDINGS:										
a. On freehold land	2,296,404	-	-	-	2,296,404	1,785,812	51,059	-	459,533	510,592

SCHEDULE -8

(Amount in ₹.)

DESCRIPTION	GROSS BLOCK			DEPRECIATION		NET BLOCK				
	Cost As at beginning of the Year	Additions during the year Before 30 th sep.	After 30 th sep.	Deductions/ Adjustment	Cost As at the end of the Year	As at beginning of the Year	During the year	Deductions/ Adjustment	Current year end	Previous year end
b. On Leasehold Shops	2,430,404	-	-	-	2,430,404	1,356,504	226,084	-	847,816	1,073,900
FURNITURE & FIXTURES	7,886,102	-	1,446,844	-	9,332,946	532,599	807,693	-	7,992,654	7,353,503
ELECTRICAL FITTINGS	3,948,002	-	620,833	-	4,568,835	251,926	400,649	-	3,916,260	3,696,076
SOFTWARE NURSERY PORTAL	2,950,000	-	-	-	2,950,000	1,180,000	708,000	-	1,062,000	1,770,000
NETWORKING EQUIPMENT	43,424	-	-	-	43,424	17,370	10,422	-	15,632	26,054
OFFICE EQUIPMENT	1,007,424	-	182,864	-	1,190,288	112,912	147,892	-	929,484	894,512
SOLAR PANNEL	2,625,322	-	-	-	2,625,322	2,522,791	41,012	-	61,519	102,531
TOTAL	23,187,082	-	2,250,541	-	25,437,623	7,759,914	2,392,811	-	15,284,898	15,427,168
TOTAL OF CURRENT YEAR	111,201,860	1,231,341	5,112,620	1,523,985	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075	33,787,460	32,810,810
TOTAL OF PREVIOUS YEAR	97,899,990	8,319,607	10,070,980	5,088,717	111,201,860	78,169,855	4,872,381	4,651,186	32,810,810	19,730,135
B. CAPITAL WORK IN PROGRESS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	111,201,860	1,231,341	5,112,620	1,523,985	116,021,836	78,391,050	5,248,401	1,405,075	33,787,460	32,810,810

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director
Deputy Managing Director
Accounts Officer

SCHEDULE -9

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS FROM EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		-
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -10

(Amount in ₹.)

INVESTMENTS OTHERS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Government Securities		-		--
2. Other approved securities		-		-
3. Shares		-		-
4. Debentures and Bonds		-		-
5. Subsidiaries and Joint Ventures		-		-
6. Others (to be specified)		-		-
TOTAL		-		-

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
A. CURRENT ASSETS				
1. Inventories:				
a. Stores and Spares	339,453		301,933	
b. Stamps in hand	-		-	
c. Stock in trade				
- Finished goods	-		-	
- Work in progress	-		-	
d. Raw Materials	-	339,453	-	301,933
2. Sundry Debtors:				
a. Outstanding for a period exceeding six months	-		-	
b. Others		-		-
3. Cash balances in hand (including cheques/ drafts etc)		126,061		75,829
4. Bank balances				
a. With Scheduled banks:				
- On Current Accounts				
- On Deposit Accounts				
Processing fee /Cost of Application form & Scheme brochure	433,400,000		427,900,000	
NHB's internal accrual	1,294,700,000		1,233,800,000	
- In Saving accounts (Head Office)	310,745,860		560,067,030	
- In Saving accounts -Imprest A/c (Centres)	10,735,786		7,901,095	
- In Saving accounts-SubsidyA/c (Centres)	-		-	
- In Saving accounts-Cost of application form & scheme broucher (centres)	-2,049,581,646		-	2,229,668,125
b. With non-Scheduled banks:				
- On current accounts	-		-	
- On Deposit Accounts	-		-	
- On Saving accounts	-		-	
5. Post Office Savings Accounts		-		-
6. Grants in Transit		500,000,000		100,000,000
TOTAL (A)		2,550,047,160		2,330,045,887

SCHEDULE -11

(Amount in ₹.)

CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS			
1. Loans and Advances			
a. Staff	1,021,337		1,103,132
b. Other Entities engaged in activities/ objectives similar to that of the Entity	-		-
c. Others : Soft Loan under schemes of the Board			
- Considered good and recoverable			
- Doubtful	171,079,681		171,879,681
		172,101,018	172,982,813
2. Advances and other amounts recoverables in cash or in kind or for value to be received:			
a. On capital account			
b. Prepayment	219,843		21,738
c. Deposits & Recoverable's	1,043,821		5,862,034
		1,263,664	5,883,772
3. Income Accrued:			
a. On investments from Earmarked/ Endowment Fund	-		-
b. On investments - FDR's			
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	1,166,281		1,151,854
NHB's internal accrual	21,475,552		16,582,231
c. On Saving accounts			
Processing fee /Cost of Application form & Scheme broucher	199,012		27,348
NHB's internal accrual	3,884,540		2,095,131
NHM's	14,621		33,310
NBM's	6,164		5,818
National Saffron Mission	20,433		20,558
d. On Soft loans			
- Considered good and recoverable	-		-
- Doubtful	22,170,122		22,569,901
(includes income due unrealised)			
		48,936,726	42,486,151
4. Claim Receivable (Tax Deducted at Source By Bank on Interest & Rent)		8,676,068	18,337,010
TOTAL (B)		230,977,477	239,689,746
TOTAL (A+B)		2,781,024,637	2,569,735,633

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULES FORMING PART OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2023

SCHEDULE -12 (Amount in ₹.)

INCOME FROM SALES/ SERVICES	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from sales:				
a. Sale of Finished Goods	-		-	
b. Sale of Raw Materials	-		-	
c. Sale of Scrap	-	-	-	-
			-	
2. Income from Services:				
a. Processing charges	-		-	
b. Cost of Application Form & Scheme Broucher	20,495,536	20,495,536	18,995,637	18,995,637
TOTAL		20,495,536		18,995,637

SCHEDULE -12A (Amount in ₹.)

Expenditure for Application Fund & Scheme Brochure	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Expenses for Application Form & Scheme Brochure		32,865,874		30,256,205
TOTAL		32,865,874		30,256,205

SCHEDULE -13 (Amount in ₹.)

GRANTS/ SUBSIDIES (Irrevocable grants and subsidies received)	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Central Government				
Planned expenditure				
From NHB Budget	2,183,000,000		1,068,200,000	
Non planned expenditure		-2,183,000,000		1,068,200,000
2. State Government (s)		-		-
3. Government Agencies		-		-
4. Institutions/ Welfare Bodies		-		-
5. International Organisations		-		-
6. Others (Specify)		-		-
TOTAL		2,183,000,000		1,068,200,000

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -14

(Amount in ₹.)

FEES/ SUBSCRIPTIONS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Entrance Fees		-		-
2. Annual Fees/ Subscriptions		-		-
3. Seminar/ Program Fees		-		-
4. Consultancy Fees		-		-
5. Others		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -15

(Amount in ₹.)

INCOME FROM INVESTMENTS (Income on Invest. From Earmarked/ Endowment Funds transferred to funds)	Invest from Earmarked fund		Invest from Earmarked fund	
	Current year	Previous Year	Current Year	Previous Year
1. Interest				
a. On Govt Securities	-		-	-
b. Other Bonds/ Debentures	-		-	-
c. Others (FDs with banks)	-	-	-	-
	-	-	-	-
2. Dividends				
a. On Shares	-	-	-	-
b. On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
	-	-	-	-
3. Rents	-	-	-	-
4. Others (Specify)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS	-	-	-	-

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -16

(Amount in ₹.)

INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Income from publications		-		-
2. Income from Royalty		-		-
3. Others (Specify)		-		-
TOTAL		-		-

SCHEDULE -17

(Amount in ₹.)

INTEREST EARNED	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. On Term Deposits:				
a. With Scheduled Banks (including TDS deducted by Bank Rs 84,83,723/-)	92,159,612		84,837,231	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. With institutions	-		-	
d. Others	-	92,159,612	-	84,837,231
2. On Savings Accounts:				
a. With Scheduled Banks	24,194,518		16,041,469	
b. With Non Scheduled Banks	-		-	
c. Post Office Savings Accounts	-		-	
d. Others - at Centres	-	24,194,518	-	16,041,469
3. On Loans:				
a. Employees/ Staff	47,022		2,168	
b. Service charges recoverable from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-		-	
c. Service Charges Received from Beneficiaries under Soft Loan Scheme	-		-	
	47,022		2,168	
4. Interest on Debtors and Other Receivables		2,295,059		2,724,768
TOTAL		118,696,211		103,605,636

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -18

(Amount in ₹.)

OTHER INCOME	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Profit on sale/ disposal of assets:				
a. Owned assets	-		-	-
b. Assets acquired out of grants,	-		-	-
	-			-
2. Rent received		761,556		1,088,823
3. Fees for Miscellaneous Services			-	-
4. Miscellaneous Income		207,320		109,550
5. Service charges/Penal Interest received		1,800,221		-
6. Other Receipt		1,199,779		-
TOTAL		3,968,876		1,198,373

SCHEDULE -19

(Amount in ₹.)

INCREASE/ (DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
1. Closing stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
			-	-
2. Less: Opening Stock				
a. Finished Goods				
b. Work in Progress				
			-	-
NET INCREASE/ (DECREASE) [1-2]			-	-

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -20

(Amount in ₹.)

ESTABLISHMENT EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Pay and Allowances	58,687,982	53,412,793
b. Other Allowances and Bonus	5,387,734	6,651,128
c. Contribution to Provident Fund	12,077,919	11,570,201
d. Staff Welfare Expenses	397,928	298,081
e. Expenses on employees retirement & terminal benefits	11,896,749	21,383,370
f. Payment To Consultant	1,421,996	591,121
TOTAL	89,870,308	93,906,694

SCHEDULE -21

(Amount in ₹.)

OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a. Electricity and water charges	1,406,032	1,446,720
b. Generator running & maintenance	683,119	685,722
c. Insurance	24,860	21,557
d. Repair and maintenance	1,423,037	754,648
e. Security charges and house keeping expenses	6,978,831	6,481,971
f. Vehicles Running and Maintenance	232,692	18,692
g. Postage, Telephone and communication charges	559,740	608,015
h. Printing and stationery	2,198,712	1,632,087
i. Travelling and Conveyance expenses	2,756,650	1,545,490
j. Newspaper & periodicals	19,159	19,036
k. Office expenses	482,802	244,517
l. Expenses on meeting\entertainment	185,027	74,199
m. Auditors remunerations/ fees	1,584,340	1,133,929
n. Legal & Professional Charges	2,298,659	2,371,560
o. Advertisement and publicity	274,626	612,728
p. Photocopy exp.	922,368	654,558
q. Property Tax	147,015	176,418
r. Interest On TDS	2,361	52
s. Books & Periodicals	-	1,500
t. Rajbhasha Promotion Expense	103,180	78,809
u. Covid 19 Expenses	-	68,918
v. Commission on Auction	5,605	24,332
w. Bank Charges	4,341	4,193
x. Interest on Leave Encashment	15,988	-
y. Leave salary Contribution	18,780	-
z. Pension Contribution	15,934	-
TOTAL	22,343,858	18,659,650

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -22

(Amount in ₹.)

EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. Grants given to Institutions/ Organisations				
b. Subsidies given to Institutions/ Organisations(For Other than NE states)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	817,041,548		269,999,500	
- Legal charges for court cases under soft loan scheme	163,500		67,500	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	1,026,537,500		265,311,300	
iii) Technology Development/ Promotion for Horticulture	7,339,640		4,777,496	
iv) Market Information Service for Horticulture Crops	-		-	
v) Horticulture Promotion Services	27,175,274		28,397,661	
vi) Mission Management & Administrative Expenses				
a. Establishment Expenses - Centre	66,210,455		54,236,661	
b. Administrative Expenses - Centre	30,148,275		24,497,262	
vii) Expenditure on International Exhibition at Beijing China	-		-	
viii) International Hort Expo Floriade 2022- Netherlands	5,766,567		16,577,154	
Expenses (For NE States including Sikkim)				
i) Development of Commercial Horticulture (Subsidy)	-		-	
ii) Capital Investment Subsidy for Cold Storages	-		-	
iii) Technology Development & Transfer for Promotion of Horticulture	-1,980,382,759		200,000	664,064,534
TOTAL		1,980,382,759		664,064,534

Note: Name of entities, their Activities along with the amount of Grant/ Subsidies are to be disclosed.

As per Operational Guidelines of Schemes of National Horticulture Board, the eligible organizations are as under:-

Unless otherwise specified, organizations/promoters, such as Association of Growers, Individuals, group of farmer growers/consumers, farmers Producer Organizations (FPOs,) Partnership/Proprietary Firms, Self Help groups (SHGs), NGOs, Companies, Corporations, Cooperatives, Co-operative Marketing federations, agricultural Produce Marketing Committees, Marketing Boards/Committee, Municipal Corporations/Committees, Agro-Industries corporations, SAU's and other concerned R&D organizations are eligible to get assistance under all the NHB schemes.

The subsidy disbursed against each activity has been shown in the Schedule no. 22 above. Beneficiary wise details are available as separate booklet. In addition to NHB Schemes, the NHB implements the certain components of NHM, NBM, MoFPI schemes and Saffron Mission.

Place : GURUGRAM

Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

SCHEDULE -23

(Amount in ₹.)

INTEREST	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
a. On fixed loans			-	-
b. On other loans (including Bank charges)			-	-
c. Other (Specify)			-	-
TOTAL			-	-

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2023

SCHEDULE 24 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting. Provision for Pay and allowances for the month of March 2023 has been made in the books of accounts.

2. VALUATION OF INVENTORIES

Stores, Spares (including machinery spares) and stationery items are valued at cost.

3. INVESTMENT

Not applicable.

4. EXCISE DUTY

Not Applicable.

5. FIXED ASSETS

The Fixed Assets are stated at cost of acquisition inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition.

6. DEPRECIATION

- a) Depreciation has been provided on Written Down Value method at the rates prescribed under Income Tax Act, 1961.
- b) In respect of additions to/deductions from fixed assets during the year, depreciation has been provided as per provision of the Income Tax Act, 1961.

7. MISCELLANEOUS EXPENDITURE

Not applicable.

8. ACCOUNTING FOR SALES

Not applicable

9. GOVERNMENT GRANTS/SUBSIDIES

- a) Grant-in-aid received from the Department of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India is accounted for on realization basis.
- b) Department of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India has sanctioned and released Grants in aid – General Rs. 50.00 crore vide letter no. M-12011/1/2022-MIDH dated 31.03.2023 which was received by NHB in the

bank account no.193501000000101 on 2nd April 2023. As on 31.03.2023, the same has been shown as Grants –in-aid in transit.

- c) Grants-in-aid received from the Government under various Schemes, other than NHB Schemes, have been accounted in Earmarked Funds.
- d) There is no Grant-in-aid received in the nature of non-monetary assets as well as Grants related to specific fixed assets.

10 FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

Transactions in Foreign Currencies are recorded at exchange rates prevailing on the date of respective transactions.

11. LEASE

Lease rentals are expensed with reference to lease terms.

12. RETIREMENT BENEFITS

- a) Liability towards Gratuity payable on death / retirement of employees is accounted for on the actuarial valuation.
- b) Provision for accumulated leave encashment benefit to the employees is accrued and computed on the assumption that employees are entitled to receive the benefit as at each year end.

13. REVENUErecognition

- a) Income such as interest on FDR's and Saving Bank Account are accounted for on accrual basis(interest certificate from the bank as well as 26 AS of the Income Tax Department).
- b) Unutilized balances under various schemes are accounted for as and when received.
- c) Amount released for assistance/subsidy under various schemes are shown as expenditure in the year of release and unutilized amount for previous years received back during the current year are accounted in Corpus/Capital Fund.

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

NATIONAL HORTICULTURE BOARD SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2023

SCHEDULE 25 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

- 1.1 Claims against the Entity not acknowledged as debts - Rs. NIL (Previous year NIL)
- 1.2 In respect of:
 - Bank guarantees given by/on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Letters of Credit opened by Bank on behalf of the Entity -Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Bills discounted with banks Rs NIL (Previous year Rs NIL)
- 1.3 Disputed demands in respect of:
 - Sales-tax Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Municipal Taxes NIL (Previous year Rs. NIL)
 - Court Cases Rs. 4.00 crore (approx..) (Previous year Rs. 3.00 crore)
- 1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entity - Rs NIL (Previous Year NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous Year NIL)

3. LEASE OBLIGATIONS

Future obligations for rentals under finance lease arrangements for plant and machinery amount to Rs NIL (Previous year Rs. NIL).

4. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loans and advances have a value of realization in the ordinary course of business, equal to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

5. TAXATION

- a) In view of there being no taxable income under Income Tax Act 1961, no provision for Income Tax has been considered necessary. National Horticulture Board (NHB) had been notified by Central Government under Section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961, up to the Assessment Year 2008-09. The NHB filed application with the Income Tax Authorities for renewal of exemption u/s 10(23C) (iv) of the Income Tax Act 1961 for Assessment Year 2009-10 to 2010-11, 2011-12 to 2013-14 & 2014-15 and onwards but the same were rejected by the Income Tax Authorities. The Board has filed writ petitions in the High Court of Punjab & Haryana at Chandigarh against the decision of

Income Tax Authorities. The decision in the matter is awaited from the Hon'ble High Court. The Board is registered with Income Tax Authorities u/s 12AA of the Income Tax Act, 1961. The NHB is filing its Income Tax Returns (ITRs) of Nil income with the Income Tax Department timely every year along with audit report required by the charitable institutions for the compliance of conditions u/s 10 (23C) (IV) of the Income Tax act, 1961. The TDS amounting to Rs. 84,142/- is deducted by the Indian Overseas Bank, NHB Branch, Gurugram on Interest on fixed deposits/rent of NHB during the financial year 2022-23 (relevant to Asstt. Year 2023-24) which is claimable as refund at the time of filing of Income Tax Return with the Income Tax Authorities. The NHB has received refund from Income Tax Authorities for Asstt. years 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022 on account of TDS deducted on interest earned on FDRs and rent receipts during the year by treated income as NIL by the IT Department.

- b) The Board has made an application in Form No. 10A for renewal of registration u/s 12AA of the Income Tax Act, 1961 on 31st December 2021. The Principal Commissioner of Income Tax / Commissioner of Income Tax has ordered the registration of the Board on 07.01.2022 for 5 (five) years from Asstt. Year 2022-23 to 2026-27.

6. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

6.1 Values of Imports Calculated on C.I.F. Basis:

- Purchase of finished Goods	NIL
- Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
- Capital Goods	NIL
- Stores, Spares and Consumables	NIL

6.2 Expenditure in foreign currency

a) Travelling Expenses	Rs. 10,87,270/-
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/banks in Foreign Currency	NIL
c) Payment made towards purchase of Machinery for Technology Awareness -	NIL
d) Other expenditure:	
- Commission on Sales	NIL
- Legal and Professional Expenses	NIL
- Miscellaneous Expenses	NIL

6.3 Earnings:

Value of Exports on FOB basis	NIL
-------------------------------	-----

6.4 Remuneration to auditors:

-As Audit Fees	NIL
- Out of Pocket Expenses	NIL

- | | |
|--|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> - Taxation Matters - Others | NIL |
|--|-----|
7. The Funds accumulated on account of cost of application form & scheme brochure and expenditure incurred as well as Fixed assets created out of the cost of application form & scheme brochure amount has been shown separately in the annual accounts of the Board.
8. The service charges are not provided for in the suit filed soft loan cases from the year in which civil suits have been filed. However, service charges to the extent of recovery have been provided in suit filed cases where amount has been recovered during relevant period.
9. As per practice in NHB regarding adjustment of recovery of those soft loan cases in which lump sum amount of recovery is less than Principal amount and service charges due, the NHB adjust the amount of recovery first in service charges and the remaining amount in Principal amount. During the current financial year recovery under erstwhile soft loan scheme of NHB is Rs. 30.00 lakh only out of which Rs. 11,99,779/- accounted for as principal amount & Service Charges and Rs. 18,00,221/- accounted for as penal interest.
10. Provision for Penal Interest in respect of late payments of dues by the beneficiaries has not been made in the accounts. It is accounted for on receipt basis.
11. The Board has filed civil suits against defaulter loanies for recovery of soft loans. The provision for doubtful debts amounting to Rs.19,32,49,803/- has been made up to 31.3.2023.
12. Court fees, if any, in respect of cases where civil suit has been filed, has been debited to expenditure account on payment basis.
13. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India decided (February 2017) to temporarily transfer land & building of erstwhile National Oil Seeds & Vegetable Oil Development Board (NOVOD) (wound up in September 2016) to NHB and directed NHB to pay wages of security staff, electricity expenses etc. from their budget for which funds would be transferred to NHB later on. An amount of Rs. 7,03,088/- is paid on behalf of NOVOD as on 31st March 2023 and shown in the books of account. Further, the Govt. of India has informed vide letter dt 18th March, 2020 that the Directorate of Wheat Development (DWD), Ghaziabad is going to shift their office to the building erstwhile NOVOD Board situated at Sector – 18, Gurugram and requested to continue the present arrangement for security of the Building. An amount of Rs 1,48,443/- is paid on behalf of DWD.
14. Corresponding figures for the previous year have been regrouped/rearranged, wherever considered necessary.
15. Figures have been rounded off to the nearest rupee.
16. Schedules 1 to 25 are annexed to and from an integral part of the Balance Sheet as at 31.03.2023 and the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date.

Place : GURUGRAM
Date : 19.06.2023

Sd/-
Managing Director

Sd/-
Deputy Managing Director

Sd/-
Accounts Officer

Promoting

Horticulture Entrepreneurship, Technology and Innovation in Indian Horticulture through NHB Schemes

*M*ANDATE OF NHB



- ◆ HI-TECH COMMERCIAL HORTICULTURE IN OPEN & PROTECTED COVER



- ◆ POLY HOUSE CULIVATION



- ◆ COLD STORAGE / CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE



- ◆ REFFER TRUCKS



- ◆ TRANSFER OF TECHNOLOGY



- ◆ PRIMARY PROCESSING



- ◆ PROMOTION OF MECHANISATION IN HORTICULTURE



- ◆ PACK HOUSE

ENSURING AVAILABILITY OF QUALITY PLANTING MATERIAL
THROUGH NURSERY ACCREDITATION PROGRAMME



राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
National Horticulture Board

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Govt. of India

प्लॉट नंबर 85, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-18, गुरुग्राम-122015 (हरियाणा)
Plot No. 85, Institutional Area, Sector-18, Gurugram-122015 (Haryana)
दूरभाष/Tel.: 0124-2342992, 2342991